कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी

2025

29 मार्च, 2025 को समीक्षित

1. परिचय

1.1 परिभाषा और दायरा

कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों, प्रथाओं, प्रक्रियाओं, नियंत्रणों, नीतियों और संकल्पों का पारदर्शी सेट है जो कॉर्पोरेट व्यवहार को निर्देशित करने के लिए लागू किया जाता है। इन्हें या तो कारोबार को विनियमित करने वाले नियामक प्राधिकरण और/या कंपनी के बोर्ड जैसे नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है। यह मुख्य रूप से शेयरधारकों, वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालक, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, वित्तपोषकों, सरकार और समुदाय जैसे हितधारकों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है। यह कारोबार इकाई के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रूपरेखा भी प्रदान करता है और व्यावहारिक रूप से प्रबंधन के हर क्षेत्र, कार्य योजनाओं और आंतरिक नियंत्रण से लेकर प्रदर्शन मापन और कॉर्पोरेट प्रकटीकरण तक को, शामिल करता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस निवेशकों के लिए कारोबार के भविष्य और कारोबार की सत्यनिष्ठा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनियों को निवेशकों और समुदाय के साथ विश्वास बनाने में मदद करता है। परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाजार प्रतिभागियों के लिए दीर्घकालिक निवेश अवसर बनाकर वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग कार्य में मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण कारक भी है।

1.2 बैंकों हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए बेसल समिति के अक्टूबर 2010 के सिद्धांत बैंकिंग संगठनों के लिए ठोस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समिति के दीर्घकालिक प्रयासों में एक सुसंगत विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2010 के सिद्धांतों ने 2008-09 के वित्तीय संकट से प्रमुख सीख को प्रतिबिंबित करने और बैंकों द्वारा खुद को नियंत्रित करने के तरीके और पर्यवेक्षकों द्वारा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की देखरेख करने के तरीके को बढ़ाने का प्रयास किया।

इसे साथ ही 2015 में परिष्कृत किया गया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतिम सिद्धांत को निम्नानुसार तैयार किया गया-

सिद्धांत 1	बोर्ड की समग्र जिम्मेदारियां	सिद्धांत 7	जोखिम की पहचान, निगरानी और नियंत्रण
सिद्धांत 2	बोर्ड की योग्यता और संरचना	सिद्धांत 8	जोखिम संचार
सिद्धांत 3	बोर्ड की अपनी संरचना और प्रथाएं	सिद्धांत 9	अनुपालन
सिद्धांत 4	वरिष्ठ प्रबंधन	सिद्धांत 10	आंतरिक लेखा परीक्षा
सिद्धांत 5	समूह संरचनाओं का गवर्नेंस	सिद्धांत 11	मुआवज़ा
सिद्धांत 6	जोखिम प्रबंधन कार्य	सिद्धांत 12	प्रकटीकरण और पारदर्शिता

प्रत्येक सिद्धांत को अनुलग्नक 1 में विस्तार से समझाया गया है।

1.3 उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारे नियामक - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), वित्तीय सेवा विभाग (DFS) (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय) और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) भारतीय बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र) में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं।

1.4 उपरोक्त के आधार पर, यह दस्तावेज़ - **कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी** - वह रूपरेखा प्रदान करती है जिसके तहत निदेशक मंडल काम करता है। इसमें बैंक की कॉर्पोरेट संरचना, संस्कृति, नीतियाँ और जिस तरह से यह विभिन्न हितधारकों के साथ व्यवहार करता है, शामिल हैं। यह नीति निदेशक मंडल की जिम्मेदारियों, प्राधिकार और गवर्नेंस को भी संबोधित करती है और रिपोर्टिंग संबंधों को परिभाषित करती है।

1.5 **वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा-निर्देशों में बदलाव** - आरबीआई ने जून 2020 के महीने में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर परामर्श जारी किया था। इसके बाद, अप्रैल 2021 के महीने में, 26 अप्रैल, 2021 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.जीओवी.आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के माध्यम से, आरबीआई ने विभिन्न बोर्ड स्तरीय समितियों की संरचना पर दिशा-निर्देश जारी किए, जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेहतर पर्यवेक्षण और मानकों के लिए स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति पर जोर दिया गया है। इस दस्तावेज़ की तिथि के अनुसार हमारी अनुपालन स्थिति की तुलना में इन दिशानिर्देशों का सारांश अनुबंध -2 में दिया गया है।

इसके बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वतंत्र निदेशकों की कमी और विभिन्न समितियों में आवश्यक कोरम की अनुपलब्धता की चुनौतियों में परिणामों को देखते हुए, वित्तीय सेवा विभाग ने राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में दिनांक 25.01.2021 को संशोधन प्रदान करते हुए एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार, किसी भी समिति से संबंधित किसी भी एजेंडे के लिए जहां कोरम के मुद्दे हैं, तो उस एजेंडे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

इसके साथ ही, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 दिनांक 05.05.2021, 01.09.2021 से प्रभावी के माध्यम से दूसरे संशोधन के तहत, सेबी ने बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों की संरचना से संबंधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में सभी छूट वापस ले ली, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (कॉर्पोरेट निकाय) को उनके विशिष्ट शासी क़ानून (बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970) के कारण उपलब्ध थीं। चूंकि यह मुद्दा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए समान है, इसलिए भारतीय बैंक संघ के नेतृत्व में सेबी के समक्ष एक संयुक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। हालांकि, सेबी ने इस अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया और सलाह दी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को गैर-आधिकारिक/गैर-कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार के साथ संपर्क जारी रखने की आवश्यकता है। इस दस्तावेज़ की तिथि तक हमारी अनुपालन स्थिति के संबंध में इन दिशानिर्देशों का सारांश अनुलग्नक 3 में दिया गया है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा-निर्देशों में बदलाव

i. डीएफएस ने 20.12.2022 को सूचित किया कि चूंकि स्थिति अब सामान्य हो गई है और कोरोना से संबंधित सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और विकास वित्तीय संस्थानों को सूचित किया जाता है कि पीएसबी/पीएसआई/डीएफआई के बोर्ड और इसकी उप-समितियों की बैठकें जहां तक संभव हो, व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जानी चाहिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने की प्रणाली का सहारा केवल असाधारण परिस्थितियों में लिया जाना चाहिए।

(डीएफ़एस अधिसूचना फा.सं. 15/47/2022-बीओ.आई दिनांक 20.12.2022)

ii. प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक अपना पूरा समय राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यों में समर्पित करेंगे और ऐसे प्रारंभिक कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा और जिसे आरंभिक कार्यकाल सहित कुल अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, जो दस वर्ष से अधिक नहीं होगा, जैसा कि केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद, निर्दिष्ट कर सकती है और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगी।

(राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) संशोधन योजना, 2022 में दिनांक 17.11.2022 के राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संशोधन)

iii. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/कार्यपालक निदेशकों / राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक (डीएफएस अधिसूचना ईएफ.सं. 9/5/2009-आईआर दिनांक 06.02.2023) की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की रिकॉर्डिंग के लिए संशोधित व्यवस्था

1.7 <u>वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों में बदलाव</u>

i. समझौता निपटान के संबंध में, "समझौता निपटान और तकनीकी राइट ऑफ हेतु रूपरेखा" पर आरबीआई परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 दिनांक 08.06.2023 के अनुलग्नक 1 में "शक्ति प्रत्यायोजन" के अंतर्गत पैरा 6(ii) के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धोखाधड़ी या जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत देनदारों के संबंध में समझौता निपटान के प्रस्तावों को, जैसा कि इस अनुबंध के खंड 13 के अनुसार अनुमति दी गई है, सभी मामलों में बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

ii. आरबीआई ने परिपत्र आरबीआई/2023-24/107 डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी. 7/31.01.015/2023-24 के दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निर्देश जारी किया है। परिपत्र के पैरा 6 में उठाए गए गवर्नेंस पहलुओं से संबंधित मुद्दों को अध्याय "समितियों का चार्टर – आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति" के तहत पैरा 8.10 में लाया गया है।

1.8 <u>वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों में बदलाव</u>

(i) आरबीआई ने 15.07.2024 के परिपत्र के माध्यम से धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देश जारी किए थे। परिपत्र के अध्याय II में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिए बैंकों में गवर्नेंस संरचना पर जोर दिया गया है। संशोधित निर्देशों की पृष्ठभूमि में, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति को दि. 2 अगस्त 2024 को बोर्ड द्वारा संशोधित एवं अनुमोदित किया गया।

(ii) आरबीआई ने दिनांक 30.07.2024 के परिपत्र के माध्यम से विलफुल डिफॉल्टर्स और बड़े डिफॉल्टर्स के उपचार पर मास्टर निर्देश जारी किए थे। परिपत्र के अध्याय-। में इस बात पर बल दिया गया है कि दिनांक 22.12.2014 के परिपत्र में गैर-सहकारी उधारकर्ताओं के संबंध में दिए गए अनुदेश निरस्त किए जाते हैं। संशोधित निर्देशों की पृष्ठभूमि में, गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की घोषणा के लिए समीक्षा समिति को भंग करने के संशोधित निर्देशों को प्रभावी करने के लिए हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति को संशोधित किया गया और संशोधित नीति को 22 अक्टूबर 2024 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

1.9 दिनांक 02.08.2024 और 22.10.2024 की बैठक में ऊपर उल्लिखित आगे के संशोधनों के लिए अनुमोदन सहित बोर्ड ने 27.03.2024 को इस नीति की समीक्षा की थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर इस नीति की प्रस्तावित समीक्षा की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाएगी। तथापि, यदि असाधारण परिस्थितियों के कारण पॉलिसी की समीक्षा नहीं की जा सकी, तो पॉलिसी दिशानिर्देश, सनसेट अवधि की समाप्ति से 90 दिनों की अवधि तक लागू रहेंगे। यह दस्तावेज़ बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति को प्रतिपादित करता है तथा इसके मूल्यों, लोकाचार और संस्कृति को संहिताबद्ध करता है।

2. बैंक ऑफ इंडिया – एक विहंगावलोकन

2.1 बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) 118 साल पुराना बैंक, बैंकिंग क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित, अपनी मजबूत प्रणालियों, प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण के लिए जाना जाता है। इस संस्था ने अतीत में कई उतार-चढ़ाव भी देखे हैं और अपने समकक्ष बैंकों के बीच सफलतापूर्वक अपनी स्थिति बनाए रखी है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद, बीओआई कुछ उन बैंकों में से एक है जो अपनी ताकत के दम पर अपना झंडा बुलंद रखे हुए है और कारोबार मिश्रण, शाखा नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के मामले में समकक्ष बैंकों में 9वें स्थान पर है। बैंक को देश के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलों में इसके योगदान के लिए भी पहचान मिली है।

2.2 बैंक के पास 5202 से अधिक घरेलू शाखाओं का नेटवर्क है और 15 विदेशी देशों में इसकी उपस्थिति है। बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के प्रावधानों के तहत संचालित होता है और वित्तीय सेवाएं विभाग (भारत सरकार), आरबीआई और सेबी के विभिन्न नियमों द्वारा विनियमित होता है। इस प्रकार, बैंक को बैंककारी कंपनी (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3) में परिभाषित अधिकतम 16 निदेशकों से युक्त निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता है । बैंक के परिचालन में बेहतर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए, 20 बोर्ड स्तरीय उप समितियां हैं जो संदर्भ की शर्तों के अनुसार विशिष्ट मामलों पर ध्यान देती हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि आरबीआई ने दिनांक 14.05.2015 के अपने परिपत्र संख्या – बीसी.93/29.67.001/2014-15 के माध्यम से बैंक के आंतरिक परिचालनों की 7 सूत्रीय विषयगत समीक्षा प्रणाली (जिसे पहले समीक्षा कैलेंडर कहा जाता था) की आवश्यकता बताई है, बोर्ड और उप-समितियाँ समय-समय पर बैंकिंग परिचालनों के महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करती हैं। बोर्ड और उसकी उप-समितियों की संरचना से संबंधित अलग अनुभाग में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है।

भारत में बैंकों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कानून इस प्रकार हैं -

i बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
ii भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
iii बैंककारी कंपनी (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 '
iv राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान: योजना, 1970
v परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
vi क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) अधिनियम, 1976
vii भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908
viii बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1991
ix बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993
x वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002
xi क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005
xii भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
xiii राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987
xiv राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम, 1981
xv दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

यदि इस नीति में बताई गई बातों और किसी कानून में बताई गई बातों में कोई विरोधाभास हो, तो कानून ही मान्य होगा ।

2.3 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बैंक का सिद्धांत

बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक') में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांत इस विश्वास से उत्पन्न है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस दक्षता और विकास में सुधार के साथ-साथ निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्च मानक को प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों और आत्म-अनुशासन में दृढ़ता से विश्वास करता है और पारदर्शिता, अपने स्टेकहोल्डर, सरकार और बैंक के साथ काम करने वाले अन्य लोगों के प्रति जवाबदेही के माध्यम से कारोबार संचालन में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखता है । तदनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांत को निम्नानुसार लिखा गया है:

"नैतिक व्यावसायिक पद्धतियों के माध्यम से स्टेकहोल्डर के मूल्य को बढ़ाना"

इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धति के मूल में बोर्ड है, जो इस बात की देखरेख करता है कि प्रबंधन किस तरह से बैंक के सभी स्टेकहोल्डर के दीर्घकालिक हितों को पूरा करता है और उनकी रक्षा करता है। बैंक का मानना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय, कुशल और स्वतंत्र बोर्ड आवश्यक है। बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों का उद्देश्य भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति बोर्ड (सेबी) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम - 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') बीआईएस-कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं को पूरा करना है, इसके अलावा पेशेवर निकायों द्वारा अनुशंसित अच्छे कार्य या भारत में अग्रणी बैंकों/कंपनियों द्वारा अपनाई गई परंपराएं भी इसमें शामिल हैं।

2.4 <u>बैंक का दृष्टिकोण और मूल्य</u>

हमारा दृष्टिकोण –

एक ऐसा बैंकिंग लीडर बनना जो असाधारण वित्तीय समाधान देने, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और भारत पर विशेष ध्यान रखते हुए वैश्विक स्तर पर अपने ग्राहकों और समुदायों की भलाई को बढ़ाने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता हो ।

हमारे मूल्य जो परिभाषित करते हैं कि हम कैसे काम करते हैं –

- उत्कृष्टता
- लोगों की सहभागिता
- सत्यनिष्ठा
- ग्राहक केंद्रितता
- सहयोग

3. <u>कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पहलू</u>

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं पर उचित कवरेज रखने के लिए, इस नीति दस्तावेज़ को 4 अलग-अलग अनुभागों में विभाजित किया गया है –

- **i. निदेशक मंडल**
- **ii. निवेशक संबंध**
- **iii. वित्तीय प्रकटन और नियंत्रण**
- **iv. कॉर्पोरेट नागरिक**

हालांकि, यह अध्याय संख्या 4 से ही जारी रहेगा। इस प्रकार, इन चार खंडों को आगे निम्नलिखित उपविषयों में विभाजित किया गया है

I **<u>निदेशक मंडल</u>**

4. बोर्ड की संरचना
5. निदेशकों की जिम्मेदारियां
6. बोर्ड की शक्तियां
7. बोर्ड स्तरीय उप-समितियां
8. समितियों का घोषणा पत्र

II **<u>निवेशक संबंध</u>**

9. सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक
10. निवेशक संबंध

III **<u>वित्तीय प्रकटन और नियंत्रण</u>**

11 वित्तीय प्रकटन और नियंत्रण

11.1 वित्तीय परिणामों की समय पर रिपोर्टिंग

11.2 प्रकटीकरण मानक

11.3 सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत लेखांकन और प्रकटीकरण नीतियों को अपनाना

11.4 बैंक की नीतियां

11.5 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता

IV **<u>कॉर्पोरेट सिटिजन</u>**

12. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी

13.निष्कर्ष

खंड – I

निदेशक मंडल

4. बोर्ड की संरचना
5. निदेशकों की जिम्मेदारियां
6. बोर्ड की शक्तियां
7. बोर्ड स्तरीय उप-समितियां
8. समितियों का घोषणा पत्र

4. बोर्ड की संरचना

4.1 बोर्ड अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बैंक और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए जिम्मेदार हैं। निदेशक मंडल बोर्ड द्वारा अंगीकृत आचार संहिता का पालन करेंगे। निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बोर्ड की बैठकों और उनके अधीन समितियों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लें और अपनी जिम्मेदारियों के उचित निर्वहन हेतु आवश्यकतानुसार समय पर सहभागिता दें। बोर्ड बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति के समग्र अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। यह बैंक के कारोबार और मामलों के प्रबंधन की निगरानी करेंगे एवं उसे निर्देशित करेंगे। ऐसा करते हुए सत्यनिष्ठा एवं सद्भावना से बैंक के सर्वोत्तम हित में कार्य करना होगा।

4.2 बोर्ड की संरचना

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) -योजना, 1970 योजना के प्रावधानों द्वारा संचालित है। बैंक के निदेशक मंडल का गठन, नियुक्ति, नामांकन और चुनाव विधि के माध्यम से किया जाता है।
निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल योजना, 1970 में निर्दिष्ट, समय-समय पर संशोधित या केंद्र सरकार द्वारा इंगित नियुक्ति की शर्तों के अनुसार होगी ।
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3) के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में अधिकतम 16 निदेशक शामिल होंगे, जिनमें निम्नलिखित हैं:-

- i) अध्यक्ष/सभापति - गैर-कार्यपालक, अंशकालिक निदेशक (धारा 9(3)(एच))
- ii) पूर्णकालिक निदेशक (धारा 9(3)(ए))[प्रबंध निदेशक एवं सीईओ]
- iii) चार कार्यपालक निदेशक - पूर्णकालिक निदेशक (धारा 9(3)(ए))
- iv) केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशक (धारा 9(3)(बी))

v. आरबीआई नामित निदेशक – वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन या पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव वाला निदेशक। (धारा 9(3)(सी))

vi. कामगारों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो कर्मचारी निदेशक। (धारा 9(3)(ई) और धारा 9(3)(एफ)) क्रमशः

vii. चार्टर्ड अकाउंटेंट निदेशक (धारा 9(3)(जी)

viii. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (एच) के प्रावधानों के अधीन केंद्र सरकार द्वारा चार से अधिक निदेशक (अध्यक्ष सहित) नामित नहीं किए जाएंगे और

ix. केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों द्वारा चुने गए निदेशक (धारा 9(3)(i))। (वर्तमान में हमारे पास शेयरधारकों द्वारा चुने गए 2 निदेशक हैं क्योंकि भारत सरकार की हिस्सेदारी 73.38% है, और प्रत्येक 16% सार्वजनिक शेयरधारिता के लिए बैंक 1 शेयरधारक निदेशक, अधिकतम 3 शेयरधारक निदेशक नियुक्त करने का हकदार है) चुने जाने वाले शेयरधारक निदेशक के पास भारतीय रिजर्व बैंक के उपयुक्त और उचित मानदंड होने चाहिए।

हम यहां यह जोड़ सकते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना 1970 - खंड 6 के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति के बारे में मूल निर्देशों, प्रबंध निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से की जाएगी, जिसे बाद में वित्तीय सेवाएं विभाग अधिसूचना फ. सं.13/1/2006-बीओ.आई दिनांक 13.02.2015 द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 04.02.2015 के अनुसार प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुनः नामित किया गया है।

बोर्ड की संरचना का उपरोक्त पैटर्न यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड व्यापक आधार वाला है, इसमें कर्मचारी, विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर और प्रशासक शामिल हैं और इसके परिणामस्वरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों और प्रशासकों और स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व होता है। गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों की प्रधानता का उद्देश्य बोर्ड को सार्थक चर्चा करने और बोर्ड के समक्ष रखे गए मामलों पर निष्पक्ष और गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाना है।

4.3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम) 2015 के विनियमन 17 (सेबी दिशानिर्देश परिपत्र संदर्भ संख्या सेबी/एचओ/सीएफबी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2018/77 दिनांक 3 मई, 2018) के अनुसार निदेशक मंडल को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है –

i. न्यूनतम 6 निदेशक

ii. गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

iii. कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक

iv. जहां अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक है, वहां निदेशक मंडल का कम से कम एक तिहाई हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से बना होगा और जहां सूचीबद्ध इकाई में नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, वहां निदेशक मंडल का कम से कम आधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से बना होगा।

4.4 आचार संहिता

बैंक द्वारा अपनाई गई आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। बोर्ड के सदस्य और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन प्रभावी अवधि के लिए आचार संहिता के अनुपालन पर अपनी पुष्टि प्रस्तुत करेंगे। पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा इस आशय की घोषणा वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी।

4.5 निदेशकों के केवाईसी के संबंध में सूचना साझा करना

बैंक को निदेशकों के केवाईसी संबंधी सूचना को विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थाओं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, के साथ उचित परिश्रम के भाग के रूप में साझा करना आवश्यक है, क्योंकि बैंक के पास निदेशकों के केवाईसी दस्तावेज हैं, इस सूचना को संवाददाता बैंकों, सेबी, एनएसई/बीएसई डिपॉजिटरी आदि के साथ साझा किया जाना आवश्यक है। हम इस सूचना को साझा करने के लिए निदेशकों से स्पष्ट सहमति प्राप्त करेंगे।

5. बोर्ड और निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियां

5.1 बोर्ड की जिम्मेदारियां

निदेशक मंडल के पास बैंक के समग्र प्रबंधन की प्रमुख जिम्मेदारी है। बोर्ड बैंक को विवेकपूर्ण और कुशल तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है। सुशासन के हित में, सरकार, नियामकों, न्यायालयों से प्राप्त सभी महत्वपूर्ण सूचना और महत्वपूर्ण संचार, बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे और उन्हें एजेंडा पेपर का हिस्सा बनाना होगा। बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित समीक्षाओं का कैलेंडर बोर्ड मीटिंग के लिए एजेंडे का हिस्सा होगा।

बैंक इन नीतियों के तहत निर्धारित मापदंडों के भीतर अपने परिचालन/गतिविधियों का संचालन करेगा। सभी नीतियों को संबंधित नीतियों में उल्लिखित सनसेट खंड के अनुसार समीक्षा के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा या यदि आवश्यक हो तो पहले भी रखा जाएगा।

गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर निदेशकों के परामर्शदात्री समूह (डॉ. गांगुली समूह) की रिपोर्ट के अनुसार और आरबीआई की सिफारिशों के अनुसार तथा शेयरधारक निदेशकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'प्रसंविदा विलेख' को निष्पादित करेंगे।

बैंक के सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई आचार संहिता का वार्षिक रूप से अनुपालन करेंगे। वार्षिक रिपोर्ट में प्रबंध निदेशक और सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा शामिल होगी।

निदेशक मंडल की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:

i) यह सुनिश्चित करना कि बैंक के लिए निर्धारित गवर्नेंस सिद्धांत सभी प्रासंगिक कानूनों, विनियमों और अन्य लागू आचार संहिताओं का अनुपालन करते हैं;
ii) बैंक के प्रबंधन के परामर्श से कारोबारिक नीतियां निर्धारित करना;
iii) कारोबार नीति के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना तथा समीक्षा और सुधार के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली की संरचना करना;

iv. कारोबार के दिशा-निर्देशों और अन्य नीतियों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और निम्नानुसार कार्रवाई करें:-

ए) बैंक की जोखिम क्षमता और जोखिम प्रोफाइल को विनियमित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ स्थापित करें। यह बैंक के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान और माप को भी सक्षम करेगा, ताकि एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा सके।

बी) यह सुनिश्चित करें कि सभी पर्यवेक्षी/विनियामक निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं और पर्यवेक्षक की सिफारिशों का उपयोग बोर्ड दर्शन के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के प्रदर्शन के आकलन में किया गया है;

सी) यह सुनिश्चित करें कि बैंक में आईटी प्रणालियाँ सटीक हैं और डेटा को सत्यनिष्ठा से तैयार करने के लिए उनमें अंतर्निहित जाँच और संतुलन हैं;

डी) समय-समय पर विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतियों का निर्माण, अंगीकरण और समीक्षा करना।

ई) सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिक व्यवहार के मानक निर्धारित करना।

एफ) यह सुनिश्चित करें कि बैंक के पास सभी लागू कानूनों और विनियमों के लिए एक मजबूत अनुपालन प्रणाली है;

जी) उपरोक्त जिम्मेदारी के प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में बोर्ड को रिपोर्ट करने के प्रारूप और आवृत्ति निर्धारित करना।

v. वित्तीय, परिचालन और अनुपालन नियंत्रण सहित आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा की सुदृढ़ प्रणाली स्थापित करना और उनकी प्रभावशीलता के लिए ऐसी प्रणाली की वार्षिक समीक्षा करना।

vi. बैंक के वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय परिणाम आरबीआई द्वारा जारी सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और विनियमों के अनुसार तैयार किए जाएं और शेयरधारकों और नियामकों को समय पर और नियमित आधार पर रिपोर्ट किए जाएं।

vii. यह सुनिश्चित करना कि बैंक के सभी भौतिक विकास मानक लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकता के अनुसार समय पर जनता के सामने प्रकट किए जाएं।

viii. उपरोक्त गवर्नेंस कार्यों के निर्वहन में निदेशकों की अनिवार्य/अन्य अनुशंसित अधिकार प्राप्त समितियों को जिम्मेदारियां सौंपना, जबकि इसकी प्राथमिक जवाबदेही बरकरार रखी जाए।

ix. भारत सरकार /आरबीआई के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा परिभाषित अन्य कर्तव्यों का पालन करना ।

5.2 गैर - कार्यपालक अध्यक्ष की भूमिका और जिम्मेदारियां

बोर्ड के अध्यक्ष गैर कार्यपालक होंगे और वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवा विभाग परिपत्र एफ़ संख्या 4/4/2015-बीओ . आई (पीटी) दिनांक 18 अगस्त 2015 और उसके किसी भी संशोधन के अनुसार निबंधन और शर्तों ,भूमिका और जिम्मेदारियों पर पद धारण करेंगे ।

अध्यक्ष संकल्प –

i. अध्यक्ष बोर्ड को नेतृत्व प्रदान करेगा और इसके प्रभावी समग्र कामकाज और बोर्ड के सदस्यों के बीच विश्वास का रिश्ता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
ii. बोर्ड को व्यापार रणनीति, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा, गवर्नेंस और मानव संसाधन विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रबंधन को समग्र नीति निर्देश प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए बैठक को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने में सुविधा प्रदान करेंगे ।
iii. बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक सूचना / निविष्टियां बोर्ड के सामने रखे गए हैं।
iv. यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड के निर्णय एक ठोस और अच्छी तरह से सूचित आधार पर लिए गए हैं और उचित रूप से दर्ज किए गए हैं।
v. आलोचनात्मक चर्चा को प्रोत्साहित करें और बढ़ावा दें तथा यह सुनिश्चित करें कि असहमतिपूर्ण विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जा सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया के आधार पर चर्चा की जा सके।
vi. प्रोत्साहित करें और यह सुनिश्चित करें कि बोर्ड के विभिन्न एजेंडा मदों पर निर्णय लेते समय उचित जांच और संतुलन शामिल किए जाएं।

बैंक नियुक्ति की अवधि, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की भूमिका, कर्तव्यों, क्या करें और क्या न करें की सूची, पारिश्रमिक और शुल्क, पेशेवर आचरण, भूमिका और कार्यों पर दिशा-निर्देशों का पालन करेगा, जैसा कि वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के उपर्युक्त परिपत्र में उल्लिखित है। इसके अलावा, जैसा कि वित्त मंत्रालय के परिपत्र एफ. सं. 4/4/2015-बीओ.आई (पीटी) दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 में उल्लेख किया गया है, अध्यक्ष प्रबंधन समिति/ऋण अनुमोदन समिति में नहीं होंगे ।

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30.08.2019 के पत्र संख्या फ.सं. 6/20/2019-बीओ.आई के माध्यम से सूचित किया है कि स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि वे कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित नहीं हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थापना करने वाला अधिनियम स्वतंत्र निदेशक को परिभाषित नहीं करता है। हालांकि, उक्त पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 9(3) के खंड (जी) ("चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रेणी निदेशक") और (एच) ("अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक") के तहत नामित गैर-सरकारी निदेशक, जिनमें गैर-कार्यपालक अध्यक्ष भी शामिल हैं, स्वतंत्र निदेशकों के समान प्रकृति के हैं। हालांकि, सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 16 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक का अर्थ नामित निदेशक के अलावा गैर-कार्यपालक निदेशक है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 9(3) के खंड (आई) के तहत चुने गए शेयरधारक निदेशकों को भी स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा।

5.3 <u>गैर कार्यपालक निदेशकों की भूमिका</u>

गैर-कार्यपालक निदेशकों की भूमिका गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वित्त, आवास, लेखा, कानून, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक नीति, इंजीनियरिंग और उद्योग के क्षेत्रों में अपने व्यापक अनुभव को बैंक में लाते हैं। गैर-पूर्णकालिक निदेशकों की विविध पृष्ठभूमि, योग्यता और अनुभव को देखते हुए, बैंक का यह प्रयास है कि उन्हें बैंकिंग, नियामक आवश्यकताओं और वैश्विक बैंकिंग में वर्तमान रुझानों के मामलों में आंतरिक या बाहरी प्रशिक्षण दिया जाए। गैर-कार्यपालक निदेशक शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इस संबंध में, उन्हें-

i. नियमित रूप से बैठकों में भाग लेना चाहिए
ii. बोर्ड की बैठकों में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, न कि निष्क्रिय सलाहकार,
iii. बोर्ड के भीतर जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए
iv. विभिन्न क़ानूनों, कानूनों और उनके निहितार्थों का विश्लेषण और व्याख्या करनी चाहिए।
v. शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के रूप में और पूर्णकालिक निदेशकों के प्रदर्शन की देखरेख में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
vi. महत्वपूर्ण मामलों पर स्वतंत्र पेशेवर सलाह लेने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एक सहमत प्रक्रिया स्थापित होगी।

vii. बोर्ड के विचार – विमर्श विशेषकर कार्यनीति, प्रदर्शन, जोखिम प्रबंधन, संसाधन, प्रमुख कार्मिकों की नियुक्ति और आचरण संबंधी मानकों के निर्धारण के मुद्दे पर स्वतंत्र निर्णय लेना, और सक्रिय रहना, जिम्मेदारियों और बैंक खाते से परिचित होना परिभाषित करता है।

viii. वित्तीय सूचना की प्रमाणिकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना तथा वह वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ मजबूत और बचाव करने योग्य हैं।

ix. सभी हितधारको, विशेषकर अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना; और

x. हितधारकों के परस्पर विरोधी हितों में संतुलन बनाए रखना ।

xi. बोर्ड के विचार – विमर्श विशेषकर कार्यनीति, प्रदर्शन, जोखिम प्रबंधन, संसाधन, प्रमुख नियुक्तियों और आचरण के मानकों के मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने में सहायता करना;

5.4 व्यावसायिक आचरण के लिए दिशानिर्देश – गैर कार्यपालक निदेशक

यह निदेशक करेंगे –

ए) बैंकिंकारी कंपनी (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करेगा , अर्थात , हमारे बैंक , उसके शेयरधारकों , उसके कर्मचारियों , समुदाय के सर्वोत्तम हित में और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए; राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास के आवश्यकताओं को प्रगतिशील रूप में और बेहतर ढंग से पूरा करेगा ।

बी) अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित एवं तर्कसंगत रूप में तथा कौशल और परिश्रम के साथ करेगा , एवं स्वतंत्र निर्णय लेगें;

सी) ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होगा जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित बैंक के हित के साथ टकराव करेगा या संभवतः टकराव कर सकता हैं ।

डी) अपने आप को या अपने रिशतेदारों , साझेदारों अथवा सहयोगियों को कोई अनुचित लाभ या फायदा नहीं पहुंचाएगा और न ही पहुंचाने का प्रयास करेगा;

ई) न ही उसे अपना कार्यालय आवंटित करेगा;

एफ) उचित प्रशिक्षण प्राप्त करते हुये नियमित रूप से अपने कौशल , ज्ञान और बैंक के साथ अपनी परिचितता को अद्यतित और ताजा रखेगा;

जी) सूचना के उचित स्पष्टीकरण या विस्तार का प्रयास करेगा;

एच) निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों के सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेगा , जिसके वह सदस्य है;

आई) बोर्ड के उन समितियों जिनके वे अध्यक्ष या सदस्य है , में रचनात्मक और सक्रिय रूप से सहभागिता करेगा;

जे) बैंक की आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेगा;

के) जहां उसे बैंक के संचालन या प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में कोई समस्या हो तो वह सुनिश्चित करेगा कि उनका बोर्ड द्वारा समाधान किया जाए और जहां तक उनका समाधान न हो तो वे इस बात पर ज़ोर दे कि उनके इन समस्याओं को बोर्ड मीटिंग के कार्यवृत में रिकॉर्ड किया जाए ।

एल) बैंक और उसके बाहरी वातावरण जिसमें वह परिचालित होता है, के संबंध में अच्छी तरह से जानकारी रखेगा;

एम) किसी उपयुक्त बोर्ड या उसकी समिति के कामकाज में अनुचित रूप से बाधा नहीं डालेगा;

एन) पर्याप्त ध्यान देते हुये यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित पक्ष के संव्यवहारों को अनुमोदित करने से पहले पर्याप्त विचार – विमर्श किया गया है और इसके साथ ही वह स्वयं को आश्वस्त करेगा कि ये बैंक के हित में हैं;

ओ) पता लगाएगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक के पास पर्याप्त और कार्यात्मक सतर्कता तंत्र है एवं ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति के हितों पर इस उपयोग के कारण प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

पी) अनैतिक व्यवहार , वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या बैंक की आचार संहिता और नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट करेगा;

क्यू) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हुए, बैंक , उसके शेयरधारकों और उसके कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा करने में सहायता करेगा; तथा

आर) वाणिज्यिक संबंधी गोपनीयता , प्रौद्योगिकियों , विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजनाएँ , अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी जैसे गोपनीय जानकारियों का खुलासा नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा खुलासा बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित न हो या कानून द्वारा अपेक्षित न हो।

5.5 <u>बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों को कार्यसूची प्रस्तुत करने की रूपरेखा</u>

बोर्ड और बोर्ड स्तरीय उपसमितियों के समक्ष रखे जाने मामलों पर बेहतर ढंग से स्पष्टता लाने के लिए , बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक रूपरेखा तैयार की गई है जैसा कि अनुलग्नक 5 में बताया गया है। यह रूपरेखा बोर्ड या बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने वाले कार्यसूची के युक्तिकरण पर विभागों के लिए दिशा – निर्देश निर्धारित करती है। रूपरेखा को बोर्ड द्वारा 23 जनवरी 2025 को अनुमोदित किया गया था।

6. बोर्ड की शक्तियां

6.1 अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए "राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान)योजना, 1970" तैयार की है। योजना के खंड 3 के अनुसार निदेशकों को नामित या चुना जाता है। योजना के खंड 7 के अनुसार, निदेशक मंडल को बैंक के मामलों और कारोबार के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन की शक्तियाँ दी गई हैं। यह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे सभी कार्यकलापों को करने का हकदार है, जिन्हें करने के लिए बैंक अधिकृत है। हालाँकि, अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, यह सार्वजनिक हित से जुड़े नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार के निर्देशों द्वारा निर्देशित होता है। सभी रणनीतिक, नीतिगत निर्णय और परिचालन की समीक्षा बोर्ड द्वारा की जाती है और क्रेडिट अनुमोदन समिति [800 करोड़ रुपये - डीएफएस, एमओएफ, भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना दिनांक 17.09.2019 को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) (द्वितीय संशोधन) योजना, 2019 दिनांक 19.11.2019 नामक संशोधन के साथ पढ़ें]के प्रतिनिधिमंडल से परे सभी वित्तीय मंजूरी के लिए एम.कॉम अंतिम प्राधिकारी है।

"समझौता निपटान और तकनीकी राइट –ऑफ के लिए रूपरेखा" पर दिनांक 08.06.2023 को जारी आरबीआई परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.20/21.04.048/2023-24 के अनुलग्नक 1 में "शक्ति के प्रत्यायोजन" के अंतर्गत पैरा 6(ii) के अनुसार, जो धोखाधड़ी घोषित मामलों में एकमुश्त निपटान के संबंध में आरबीआई द्वारा दिए गए नवीनतम दिशा-निर्देशों का निर्माण करता है और ऐसे खातों के साथ जहां प्रमोटर/गारंटर को जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया जाता है, ओटीएस को मंजूरी देने का अधिकार बोर्ड में निहित है। हालांकि, संशोधित आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रबंधन समिति सीएसी को प्रत्यायोजन के अंतर्गत आने वाले धोखाधड़ी/जानबूझकर चूक/दुर्व्यवहार/दुराचार से जुड़े मामलों पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। ऐसे मामलों में बोर्ड की अलग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

6.2 बोर्ड के समक्ष रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी

सेबी के कॉरपोरेट गवर्नेंस (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)विनियमन 2015 की अनुसूची ॥ के भाग ए के अनुसार, बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित न्यूनतम जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है-

ए) वार्षिक परिचालन योजनाएँ और बजट तथा कोई भी अद्यतन।

बी) पूंजी बजट और कोई भी अद्यतन।

सी) सूचीबद्ध इकाई और उसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक खंडों के लिए तिमाही परिणाम।

डी) लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

ई) निदेशक मंडल के ठीक नीचे के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक की जानकारी, जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या निष्कासन शामिल है।

एफ) कारण बताओ, माँग, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस, जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

जी) घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, खतरनाक घटनाएँ, कोई भी भौतिक अपशिष्ट या प्रदूषण समस्याएँ।

एच) सूचीबद्ध इकाई द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भौतिक चूक, या सूचीबद्ध इकाई द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त भुगतान न करना।

आई) कोई भी मुद्दा, जिसमें संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जिसमें कोई निर्णय या आदेश शामिल है, जिसने सूचीबद्ध इकाई के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की हो या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया हो, जिसका सूचीबद्ध इकाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

जे) किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।

के) संव्यवहार जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है।

एल) महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।

एम) निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की बिक्री जो भौतिक प्रकृति की हैं और कारोबार के सामान्य क्रम में नहीं हैं।

एन) विदेशी मुद्रा जोखिम का त्रैमासिक विवरण तथा प्रतिकूल विनिमय दर परिवर्तन के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि आवश्यक हो

ओ) किसी भी विनियामक, वैधानिक या सूचीकरण आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा का गैर-अनुपालन जैसे की लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी इत्यादि।

6.3 <u>मुआवज़ा/बैठक शुल्क</u>

पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक और अन्य निदेशकों को बैठक की फीस का भुगतान उनके कार्यों और बोर्ड या इसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। डीएफएस दिशा-निर्देश के अनुसार संदर्भ संख्या एफ. सं. 15/1/2011-बीओ.आई, दिनांक 30 अगस्त 2019, स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक के लिए बैठक की फीस को बोर्ड द्वारा 01.01.2022 से मंजूरी दे दी गई है। एमडी व सीईओ, कार्यपालक निदेशक और प्रत्येक निदेशक जो भारत सरकार और आरबीआई से हैं, उन्हें कोई भी बैठक शुल्क नहीं दिया जाएगा। हालाँकि, यदि किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (सी) के तहत निदेशक के रूप में नामित किया जाता है, तो वह बैठक की फीस के लिए पात्र होगा। (आरबीआई के दिनांक 18.07.2023 के ईमेल के अनुसार)

6.4 <u>बोर्ड बैठकें</u>

बोर्ड नियमित रूप से बैठक करेगा, बैंक पर पूर्ण एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखेगा तथा कार्यपालक प्रबंधन की निगरानी करेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान)योजना, 1970 में प्रावधान है कि बोर्ड की बैठकें सामान्यतः वर्ष में कम से कम छह बार तथा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। साथ ही, किसी भी दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल 120 दिन से अधिक नहीं होगा।

बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकें, ऐसी बैठकों को नियंत्रित करने वाले क़ानूनों/दिशानिर्देशों/सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप से तथा बैंक के प्रधान कार्यालय में परिस्थितियों के अनुसार जितनी बार आवश्यक हो, आयोजित की जाएगी। ऐसी सभी बैठकों का कार्यक्रम प्रत्येक तिमाही के आरंभ से पहले तैयार किया जाता है तथा सभी बोर्ड सदस्यों, महाप्रबंधकों और विभागों को काफी पहले ही भेज दिया जाता है।

6.4.1 <u>बोर्ड की बैठकों के लिए सूचना और कार्यसूची</u>

बोर्ड की बैठकों की सूचना बैठक की तिथि से न्यूनतम15 दिन पहले दी जानी चाहिए और यदि प्रशासनिक कारणों से बैठक की तिथि और/या स्थान में कोई परिवर्तन होता है, तो बोर्ड के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, इसकी सूचना को अधिसूचित किया जाना चाहिए। किसी विशेष तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए या बैठक के विवरण को विधिवत दर्ज करके सभी निदेशकों की सहमति से कम समय के नोटिस पर भी बैठकें बुलाई जा सकती हैं। आपातस्थिति या तात्कालिकता की स्थिति में, बैंक पर लागू विधियों/दिशानिर्देशों/सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों के बीच परिचालन के माध्यम से भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।

बोर्ड की बैठकों का कार्यसूची तथा उससे संबंधित जानकारी बैठक से कम से कम 7 दिन पहले निदेशकों को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी, ताकि बैठक में सूचित निर्णय लिया जा सके।असाधारण मामलों में, बैठक से 2 दिन पहले निदेशकों को कार्यसूची भी भेजी जा सकता है। इसके अलावा, एजेंडे में शामिल किसी भी संवेदनशील मामले से संबंधित जानकारी केवल बोर्ड बैठक के समय ही टेबल एजेंडा के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड सचिवालय आईपैड या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बोर्ड बैठकें आयोजित करने के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से एजेंडा मामलों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में प्रसारित कर सकता है। इसके अलावा, महामारी के समय के अनुभव और अतीत में बैंक के सामने आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, बैठक के अनुभव को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं, जहां बैठक में एजेंडा आइटम प्रस्तुत करने से लेकर उक्त एजेंडे पर निर्देशों के अनुपालन तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप में होगी। इस प्रकार, हम आने वाले समय में बोर्ड और बोर्ड स्तरीय उप-समितियों की पूर्णतः कागज रहित बैठकों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

6.5 <u>बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति</u>

बोर्ड की बैठकों में निदेशकगण तथा बोर्ड के आमंत्रण पर बैंक के अधिकारीगण भाग लेंगे, जो चर्चा किए जा रहे एजेंडा मदों के बारे में जानकारी दे सकेंगे। सभी कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे।

यदि कोई निदेशक किसी विशिष्ट बोर्ड बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता है, तो उसे बोर्ड से अनुपस्थिति की छुट्टी लेनी होगी।

कोई भी निदेशक, सूचना मिलने पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बोर्ड में भाग ले सकता है, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, सिवाय उन एजेंडा मदों के जिनमें मूल्य संवेदनशील जानकारी होती है, जैसे वित्तीय परिणामों को अपनाना आदि। हालांकि, असाधारण मामलों में, निदेशक वित्तीय परिणाम को अपनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं। हालाँकि, डीएफएस द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें अब निदेशकों की भौतिक उपस्थिति में आयोजित की जा सकती हैं और आपात स्थिति में वीडियो कांफ्रेंसिंग का प्रावधान किया जा सकता है (डीएफएस अधिसूचना एफ.सं. 15/47/2022-बीओ.आई दिनांक 20.12.2022)।

ऐसी सभी बैठकें, जिनमें कोई भी निदेशक वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग तंत्र का उपयोग करके रिकॉर्ड की जाएंगी। ऐसी रिकॉर्डिंग को कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 3(2)(डी) के अनुसार उस विशेष वर्ष की लेखापरीक्षा पूरी होने के समय से पहले बैंक के रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में संरक्षित किया जाएगा। यहां हम ऐसे अभिलेखों को बैंक की वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा पूरी होने तथा उस विशेष वर्ष के वित्तीय परिणाम घोषित होने तक बनाए रखने का प्रस्ताव करते हैं।

यदि किसी कारणवश अध्यक्ष बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हों तो प्रबंध निदेशक उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एक ही व्यक्ति होने की स्थिति में बैठक में उपस्थित निदेशकों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई अन्य निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

6.6 <u>कोरम</u>

बैठक के दिन बोर्ड के निदेशक के रूप में पद धारण करने वाले निदेशकों की संख्या का एक तिहाई, न्यूनतम तीन निदेशकों के अधीन।

6.7 <u>आवृत्ति</u>

वर्ष में कम से कम 6 बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार

6.8 <u>बोर्ड मीटिंग के कार्यवृत्त</u>

6.8.1. बोर्ड की सभी बैठकों के मसौदा कार्यवृत्त बोर्ड मीटिंग की तिथि से यथाशीघ्र निदेशकों को उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए प्रसारित किए जाएंगे। यदि दो दिनों के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो मसौदा कार्यवृत्त को अनुमोदन के लिए बोर्ड/समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा।

बोर्ड/बोर्ड स्तरीय उपसमिति के अध्यक्ष/ सभापति द्वारा मिनटों के अनुमोदन की तिथि मिनटों पर हस्ताक्षर करने की तिथि या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि होगी, जो भी पहले हो, अध्यक्ष/सभापति मिनटों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर की तिथि के साथ मिनटों के अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षरित कार्यवृत्त अगली बैठक में बोर्ड/बोर्ड स्तरीय उपसमिति के समक्ष नोटिंग के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। यह परिवर्तन बैंक द्वारा जनवरी 2022 से आरबीआई एसएसएम द्वारा दिनांक 09.02.2022 की अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के जवाब में सुधारात्मक उपाय के रूप में लागू किया गया है।

6.8.2. <u>कार्यवृत्त की सामग्री</u>

बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों और आमंत्रित व्यक्तियों, यदि कोई हो, के नाम कार्यवृत्त में शामिल होने चाहिए। कार्यवृत्त में प्रस्ताव की संक्षिप्त पृष्ठभूमि तथा निर्णय पारित करने या निर्णय लेने के औचित्य का उल्लेख होना चाहिए। जिन निदेशकों ने निर्णय से असहमति जताई या निर्णय से दूर रहे, उनके नाम दर्ज किए जाने चाहिए। सभी बैठकों के विवरण स्थायी रूप से संरक्षित किये जाते हैं।

6.8.3. <u>अनुवर्ती तंत्र</u>

बोर्ड/समिति के सभी निर्णयों/अवलोकनों से बैठक के समापन के बाद सामान्यतः 3 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित विभागों को अवगत करा दिया गया है। पिछली बैठक(ओं) तक के निर्देशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को अनुपालन होने तक बोर्ड/समिति की आगामी बैठक (प्रबंधन समिति और ऋण अनुमोदन समिति को छोड़कर) में रखा जाएगा। हालाँकि, यदि पहले से तय बैठक के अलावा कोई अतिरिक्त बैठक निर्धारित की जाती है, तो की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नियमित बैठक में रखी जाएगी। एम.कॉम. और सी.ए.सी. के मामले में, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कम से कम दो महीने में एक बार प्रस्तुत की जाएगी, ताकि निर्देशों के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

6.8.4. <u>आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक</u>

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवीय मानक 1 (एसएस-1) और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 (एसएस-2) जारी किया है। ये सचिवीय मानक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं।

कंपनी अधिनियम बैंक पर लागू नहीं होता है, परंतु अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक उपाय के रूप में, बैंकों को सचिवीय मानक 1 और 2 से उन सीमाओं तक पालन करना चाहिए जो संबंधित कानूनों और दिशानिर्देशों या बैंक के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन नहीं करते।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या फ.सं/16/11/2015-बी.ओ.आई दिनांक 17.06.2016 के संदर्भ में यह निर्धारित किया है कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के तहत किसी भी श्रेणी में नियुक्त निदेशक, जो प्रबंधन समिति/क्रेडिट स्वीकृति समिति में हैं, किसी भी समिति में, किसी भी क्षमता में लेखा परीक्षा समिति में नहीं रहेंगे। हालाँकि, यह प्रावधान आरबीआई नामांकित निदेशक, जो इस अधिनियम की धारा 9(3)(c) के तहत विशेष नियुक्ति आदेश के अनुसार नियुक्त किए गए हैं, के मामले में लागू नहीं होगा।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या फ.सं.4/4/7015- बीओ.आई -(पीटी.) दिनांक 30.10.2015 के संदर्भ में, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष प्रबंधन समिति/ऋण स्वीकृति समिति में नहीं होंगे।

6.9 <u>बोर्ड की बैठक के बिना प्रस्ताव की वैधता</u> (परिपत्र द्वारा)

कोई भी प्रस्ताव बोर्ड या उसकी समिति द्वारा प्रसारित होने पर वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि प्रस्ताव का मसौदा सभी निदेशकों या समिति के सदस्यों को कंपनी के साथ उनके पंजीकृत पते पर हाथ से, डाक या कुरियर द्वारा या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से आवश्यक कागजात के साथ वितरित न किया गया हो, और प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकार वाले निदेशकों या सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत न किया गया हो।

यदि वर्तमान में कंपनी के कुल निदेशकों की संख्या के एक-तिहाई से कम नहीं है, तो किसी भी संकल्प को प्रसार के तहत यह आवश्यक है कि इसे बैठक में निर्धारित किया जाए, तो अध्यक्ष उस संकल्प को बोर्ड की बैठक में निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत करेगा।

प्रसार द्वारा पारित संकल्प को बोर्ड की आगामी बैठक में नोट किया जाएगा और उस बैठक की मिनटों का कार्यवृत्त बनाया जाएगा।

6.9.1 प्रचलन द्वारा बोर्ड संकल्प पास करने हेतु प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना

6.9.1.1 बोर्ड के अनुमोदन के तरीके को निर्धारित करें

बोर्ड के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में, प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में, किसी अन्य निदेशक जो कि इच्छुक निदेशक नहीं है, यह निर्णय लेंगे कि क्या किसी विशेष कारोबार के लिए बोर्ड की स्वीकृति को परिपत्र द्वारा संकल्प के ड्राफ्ट को सभी निदेशकों के बीच वितरित करने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।

6.9.1.2 संकल्प का मसौदा और नोट

• प्रस्तावित संकल्प का मसौदा जिसे प्रसार द्वारा पारित किया जाना है और सभी अन्य आवश्यक दस्तावेजों को तैयार किया जाना है।

• प्रत्येक कारोबार जिसे संकल्प द्वारा प्रस्तावित रूप में पारित किया जाना है, एक अनुक्रम संख्या रखेगा और एक टिप्पणी द्वारा समझाया जाएगा जो प्रस्ताव के विवरण, उन संबंधित सामग्रियों के तथ्यों को स्थापित करेगा जो निदेशकों को प्रस्ताव के अर्थ, दायरे और परिणामों को समझने में सक्षम बनाते हैं, प्रस्ताव में किसी भी निदेशक की चिंता या रुचि की प्रकृति, जिसे निदेशक ने पहले प्रकट किया था, और प्रस्तावित संकल्प के मसौदे को शामिल करेगा।

• नोट यह भी संकेत करेगा कि एक निदेशक प्रस्तावित संकल्प पर सहमति या असहमति कैसे व्यक्त करेगा और उस दिनांक का उल्लेख करेगा जिस पर निदेशक को प्रतिक्रिया देनी है।

• प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि प्रारूप संकल्प के परिसंचरण की तिथि से सात दिनों से अधिक नहीं होगी। हालांकि, यदि कंपनी ने इसे स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पोस्ट या कुरियर द्वारा भेजा है, तो प्रारुप की सेवा के लिए अतिरिक्त दो दिन जोड़े जाएंगे।

6.9.1.3 मसौदा संकल्प का प्रचलन

• सभी निदेशकों को, जिसमें इच्छुक निदेशक भी शामिल हैं, एक ही दिन में उनके पते पर बैंक में पंजीकृत पते पर आवश्यक पत्रों के साथ संकल्प का मसौदा भेजें, ताकि उनकी मंजूरी प्राप्त की जा सके।

• संकल्प का मसौदा और आवश्यक कागजात किसी भी पते पर भेजे जाएंगे जो निदेशक द्वारा बैंक के साथ पंजीकृत डाक पते या ई-मेल पते पर हैं, या यदि ऐसे विवरण अनुपस्थित हैं या उनमें कोई परिवर्तन है, तो निदेशक पहचान संख्या (DIN) पंजीकरण में उपस्थित किसी भी पते पर भेजे जाएंगे।

• संकल्प और आवश्यक कागजात के मसौदे के भेजने और प्राप्ति का प्रमाण रखा जाएगा।

6.9.1.4 निदेशकगण से सहमति या असहमति प्राप्त करना

- निदेशकगण प्रचलन पारित किए जाने वाले संकल्प पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति या असहमति ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित करेंगे।

- निदेशकगण को उस तारीख को जोड़ना होगा जिस पर उन्होंने संकल्प पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि किसी निदेशक ने किसी तारीख को नहीं जोड़ा, तो हस्ताक्षरित संकल्प के बोर्ड सचिवालय द्वारा प्राप्त करने की तारीख को हस्ताक्षर करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।

- यदि निदेशक सहमति या असहमति को संकेत करने के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि से पहले या उसके भीतर उत्तर नहीं देते हैं, तो माना जाएगा कि निदेशक मतदान से दूर रहे हैं।

6.9.1.5 निदेशक द्वारा रुचि का विमोचन

उन मामलों में जहाँ निदेशक की रुचि कंपनी को अभी तक संप्रेषित नहीं की गई है, संबंधित निदेशक को अंतिम तारीख से पहले अपनी रुचि का विमोचन करना होगा और मतदान से दूर रहना होगा।

6.9.1.6 संकल्प का पारित होना

- संकल्प तब पारित होता है जब इसे मतदान करने के लिए अधिकृत निर्देशकों में से एक बहुमत द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

- यदि मतदान करने के लिए अधिकृत निर्देशकों के बहुमत की स्वीकृति उस अंतिम तारीख तक प्राप्त नहीं होती है जो ऐसी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई है, तो संकल्प को पारित नहीं माना जाएगा।

- यदि संकल्प पारित होता है, तो इसे उन तारीखों में से अंतिम तारीख पर पारित माना जाएगा जो निदेशकों द्वारा सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए निर्दिष्ट की गई है या जिस तारीख पर दो-तिहाई से अधिक निर्देशकों से सहमति प्राप्त हुई है, जो भी पहले हो, और यह उस तारीख से प्रभावी होगा, यदि ऐसे संकल्प में कोई और प्रभावी तारीख निर्दिष्ट नहीं की गई है।

यदि निदेशक मंडल के एक-तिहाई या उससे अधिक निदेशक (हितबद्ध निदेशकों सहित) चाहते हैं कि किसी विषय पर बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाए, तो संबंधित प्रत्येक निदेशक को प्रतिक्रिया देने के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि से पहले इस आशय की जानकारी देनी होगी।

6.9.1.7 परिचालन द्वारा पारित संकल्प की नोटिंग

परिचालन द्वारा पारित किए गए संकल्प को अगली निदेशक मंडल की बैठक में नोट किया जाएगा और उसका विवरण, असम्मति या निरपेक्षता (यदि कोई हो) के साथ, उस बैठक की कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा। कार्यवृत्त में यह तथ्य भी दर्ज होगा कि हितबद्ध निदेशक ने संकल्प पर मतदान नहीं किया है।

6.9.1.8 परिचालन द्वारा पारित संकल्प की वैधता

परिचालन द्वारा पारित किया गया संकल्प उसी तरह से वैध माना जाएगा, जैसे कि विधिवत रूप से आहूत निदेशक मंडल की बैठक में पारित किए जाने वाले संकल्प को वैध माना जाता है।

6.9.2 <u>विषय जिन्हें परिचालन के माध्यम से पारित नहीं किया जा सकता</u>

बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विषयों पर परिचालन द्वारा विचार या पारित नहीं किया जा सकता:

ए) बैंक की अप्रदत्त शेयर पूंजी के संबंध में शेयरों की मांग करना ।

बी) डिबेंचर जारी करना

सी) डिबेंचर के अलावा किसी अन्य माध्यम से धन उधार लेना

डी) बैंक की निधियों का निवेश करना

ई) अपनी प्रतिभूतियों को वापस खरीदना

एफ) राजनीतिक अंशदान देना

जी) बोर्ड में अनियत रिक्ति (Casual Vacancy) भरना

एच) स्वैच्छिक समापन के संबंध में ऋण शोधन क्षमता (सॉल्वेंसी) की घोषणा करना।

आई) संयुक्त उद्यम और सहयोग करार करना

जे) नया व्यावसायिक कार्य आरंभ करना

के) विलय और अधिग्रहण को अनुमोदित करना

एल) संयंत्र, कारख़ाना (फैक्टरी) या पंजीकृत कार्यालय के स्थान को स्थानांतरित करना

एम) कंपनी की मुद्रा (सामान्य मुहर) को अंगीकार करना (स्वीकृति देना)

एन) शेयर जब्त करना

ओ) निदेशकों के हित की नोटिंग करना

पी) त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक खातों को अनुमोदित करना

क्यू) वार्षिक परिचालन योजनाएँ और बजट

आर) वित्तीय दायित्वों में कोई भी महत्वपूर्ण चूक

एस) निवेशों, सहायक कंपनियों या परिसंपत्तियों की बिक्री, जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में नहीं है

टी) ऐसे मुद्दे जिनमें संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हों

यू) ऐसे संव्यवहार जिनमें गुडविल (सुनाम), ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल हो।

वी) प्रत्यायोजित शक्तियों से परे अन्य कम्पनियों के शेयरों में निवेश करना।

डबल्यू) विदेशी मुद्रा जोखिम और प्रतिकूल विनिमय दर के घट-बढ़ के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम

परिचालन द्वारा संकल्प के उपरोक्त प्रावधान, बोर्ड की समितियों पर भी यथोचित परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

टिप्पणी: यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल अनुमोदन से संबंधित कार्यसूची की मदें ही परिचालन द्वारा पारित की जा सकती हैं और कोई भी सूचना से संबन्धित कार्यसूची की मदें बोर्ड/समितियों को परिचालित नहीं की जाएंगी।

6.10 <u>समीक्षाओं का कैलेंडर</u>

आरबीआई ने अपने परिपत्र दिनांक 22.04.2008 और 10.11.2010 के माध्यम से बोर्ड और बोर्ड की उप-समितियों को समीक्षा कैलेंडर की विभिन्न रिपोर्टिंग के बारे में का निर्देश दिया है। तदनुसार, बोर्ड ने समितियों का गठन किया है और विभिन्न कैलेंडर/एजेंडा इन समितियों को रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद, आरबीआई ने 14.05.2015 के परिपत्र द्वारा (एसीबी को छोड़कर) समीक्षा कैलेंडर को हटाकर उसके स्थान पर नायक समिति द्वारा निर्धारित सात महत्वपूर्ण विषयों को अपनाने और शेष विषयों की सूची और उनकी आवृत्ति निर्धारित करने का निर्णय बैंक के बोर्ड पर छोड़ दिया।

सात विषयगत मापदंड हैं:

- **i)** **कारोबार रणनीति** – नए उत्पादों का विकास; व्यक्तिगत व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता; लक्ष्यों के सापेक्ष व्यावसायिक समीक्षा
- **ii)** **जोखिम** – ऋण, परिचालनात्मक, बाजार, तरलता जोखिम से संबंधित नीतियाँ; जोखिम कार्य की स्वतंत्रता का मूल्यांकन

iii) **वित्तीय रिपोर्ट और उनकी प्रामाणिकता –** त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत जांच; एनपीए प्रबंधन और रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानों की सत्यता

iv) **अनुपालन** – विनियामक आवश्यकताएँ; आरबीआई और सेबी मानदंडों का पालन; आरबीआई वार्षिक वित्तीय निरीक्षण और लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट से अवलोकन; पूर्व बैठकों के कार्यवृत्त के निर्णयों एवं सहायक कंपनियों में मुख्य निर्णयों की समीक्षा, कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा; बोर्ड समितियों में नियुक्तियां;

v) **ग्राहक संरक्षण –** विशेष रूप से तीसरे पक्ष के उत्पादों की गलत बिक्री; विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए उत्पादों की उपयुक्तता तय करना; ग्राहक शिकायतों की वृद्धि और उनके समाधान में व्यापक प्रवृत्तियों को समझना एवं ध्यान केन्द्रित करना।

vi) **वित्तीय समावेशन –** प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की समीक्षा; वंचितों के लिए भुगतान; कमजोर वर्गों से जमा संग्रहण; सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) संस्थाओं को समर्थन; और अन्य मुद्दे;

vii) **मानव संसाधन –** निदेशकों की नियुक्तियाँ और अनुमोदन, कर्मचारियों के लिए भत्ते और अनुलाभ, स्टाफ के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ, स्टाफ के लिए पदोन्नति नीतियां, स्टाफ का प्रशिक्षण और कौशल विकास।

आरबीआई ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि है कि वे निदेशक मंडल की बैठक (बोर्ड मीटिंग) के लिए मुख्यतः रणनीतिक और वित्तीय महत्व के मामलों पर ध्यान देते हुए कार्यसूची मदें निर्धारित करें और बोर्ड के अनुमोदन के साथ उनकी आवधिकता सुनिश्चित करें।

आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कैलेंडर आइटम की रिपोर्टिंग को 28.09.2015 को मूलतः बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। परंतु, रिपोर्टिंग में दोहराव से बचने और बोर्ड एवं इसकी उप-समितियों को सात विषयगत क्षेत्रों पर आधारित रणनीतिक और वित्तीय महत्व के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय देने हेतु, बोर्ड और बोर्ड समितियों को प्रस्तुत किए जा रहे समीक्षा कैलेंडर पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा गया और तदनुसार, बोर्ड द्वारा दिनांक 23.01.2025 की बैठक में पिछली कैलेंडर की समीक्षा की गई। **बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित समीक्षा कैलेंडर को नीति के साथ अनुलग्नक 4 में शामिल किया गया है।**

6.11 <u>बोर्ड सचिवालय</u>

जैसा कि ऊपर बताया गया है बोर्ड सचिवालय बोर्ड के सुचारू संचालन के लिए निदेशक मंडल की सहायता करता है। सचिवालय की भूमिका और जिम्मेदारियों को बोर्ड सचिवालय के मानक संचालन प्रक्रिया नामक दस्तावेज़ में अलग से बताया गया है।

7. बोर्ड स्तरीय उप-समितियां

7.1 बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर विचार करने के लिए निदेशकों और / या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

महत्वपूर्ण समितियाँ इस प्रकार हैं :

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
3. निदेशक पदोन्नति समिति
4. बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति
5. हितधारक संबंध समिति
6. शेयर हस्तांतरण समिति
7. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति
8. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
9. ग्राहक सेवा के मूल्यांकन के लिए निदेशकों की समिति
10. आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति
11. निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति
12. मानव संसाधन हेतु बोर्ड की संचालन समिति
13. विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए समीक्षा समिति
14. उच्च मूल्य एनपीए और हानि परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए समिति
15. बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक समिति
16. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
17. प्रबंध निदेशक और सीईओ/कार्यपालक निदेशकों/महाप्रबंधकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति
18. समूह शासन इकाई समिति
19. बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति
20. एचएलसीसी- 1

बोर्ड की उप-समितियों की संरचना की अनुपलब्धता और अपर्याप्त कोरम के मामले में, इन समितियों से संबंधित एजेंडा भारत के नवीनतम राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई- के अनुसार अनुमोदन/पुष्टि/रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति - समीक्षा (2025) पृष्ठ 36 का 114 27012021-224708 - असाधारण - भाग II - धारा 3 - उप-धारा (ii) दिनांक 27.01.2021 [राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान)

योजना, 1970 - पैरा 14 ए का सम्मिलन] और इसे 09.02.2021 को परिचालित करके बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति के चार्टर में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

i. बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति का नाम बदलकर "धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति" कर दिया गया है, जो कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के दिनांक 15.07.2024 के मास्टर निर्देशों के अनुसार है – बोर्ड द्वारा दिनांक 02.08.2024 को अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया (एजेंडा संख्या पी-10)

ii. गैर-सहयोगी उधारकर्ताओं की घोषणा के लिए समीक्षा समिति को दिनांक 30.07.2024 को विलफुल डिफॉल्टर्स और बड़े डिफॉल्टर्स के उपचार पर आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुसार भंग कर दिया गया है - 22.10.2024 को बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी दी गई (एजेंडा संख्या पी-2)

8. समितियों का चार्टर

8.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति:

स्रोत	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार गठित
सदस्यता	बैंकिंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद बोर्ड की प्रबंधन समिति की संरचना को संशोधित किया है। इसमें शामिल हैं (i) प्रबंध निदेशक और सीईओ (ii) कार्यपालक निदेशक (गण) (iii) आरबीआई नामित निदेशक [धारा 9(3) (सी)] और (iv) निदेशकों की उपलब्ध संख्या के आधार पर बोर्ड (धारा 9(3)(ई), (एफ), (एच) और (आई) द्वारा नामित तीन अन्य अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक बोर्ड द्वारा नामित निदेशक एक समय में एक वर्ष से अधिक समय तक पद धारण नहीं करेंगे। यदि बोर्ड की राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो बैंक के उचित प्रबंधन के हित में आवश्यक हैं, तो एक वर्ष की अवधि के बाद नामित निदेशक को बोर्ड अतिरिक्त अवधि या अवधि को जारी रखने की अनुमति दे सकता है। निर्दिष्ट के अनुसार यह अवधि एक समय में छह महीने से अधिक की नहीं होगी। हालाँकि, ऐसी बढ़ाई गई अतिरिक्त अवधि का कुल समयकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा। (डीएफएस, एमओएफ अधिसूचना दिनांक 17.09.2019 और भारत के राजपत्र दिनांक 18.09.2019 के अनुसार)।
समिति का कार्यक्षेत्र/ संदर्भ के विषय /अधिकार	वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों और मुकदमों/अपीलों आदि को दाखिल करने के संबंध में बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग करता है, निम्नलिखित के अलावा: तुलन-पत्र का अनुमोदन, लाभ का विनियोग और अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान। इस प्रकार, एम. कॉम के पास 800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रस्तावों और बैंक द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न संदर्भों के मामलों सहित वित्तीय प्रतिबंधों के लिए पूरा अधिकार होगा

अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक और सीईओ हालांकि, जैसा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया जाता है और डीएफएस द्वारा दिए गए अंतरिम निर्देश के तहत जब भी एमडी एवं सीईओ की रिक्ति होती है, तो बैठक के अध्यक्ष को बनाने का निर्णय, बैठक में उपस्थित निदेशकों द्वारा आपस में ही तय किया जाएगा। (जैसा कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अध्याय 3 बिंदु 13 के खंड 7 में प्रावधान है)
कोरम	4 – न्यूनतम एक गैर-कार्यपालक निदेशक की उपस्थिति अनिवार्य है।
आवधिकता	जब भी आवश्यकता हो
एस्केलेशन मैट्रिक्स/ रिपोर्टिंग	i. संदर्भ की शर्तों के अलावा कोई भी अन्य मामला बोर्ड को भेजा जाएगा। ii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में एम कॉम की कार्यसूची को बोर्ड में ले जाया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14 ए द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे एस.ओ.366 (ई) दिनांक 25.01.2021 द्वारा सम्मिलित किया गया है। iii. कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम पुनर्धारणा, प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है, उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति:

स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई अधिसूचना डॉस.सं.बीसी.14/एडीएमएन.919/16.13.100/95 दिनांक 26.09.1995) और डीएफएस, भारत सरकार के संप्रेषण संख्या एफ.सं.19/20/2008-बीओ-I दिनांक 18.02.2008 के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित। आरबीआई का नवीनतम परिपत्र डीओआर.जीओवी.आरईसी.8/219.67.001/2021-22 दिनांक 26.04.2021 को जारी किया गया।
सदस्यता	केवल गैर-कार्यपालक निदेशक अर्थात i. सरकार द्वारा नामित निदेशक ii. आरबीआई द्वारा नामित निदेशक iii. बैंकिंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा (9) (3) की उपधारा (जी), (एच) और (आई) के तहत नियुक्त निदेशक (सभी सदस्यों को सभी वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उनसे जुड़े नोट/रिपोर्ट को समझने की क्षमता होनी चाहिए) अपवर्जन : i. स्टाफ के निदेशकों को शामिल नहीं किया जाएगा ii. अध्यक्ष, बोर्ड का सदस्य नहीं होगा। iii. निदेशक जो प्रबंधन समिति के सदस्य है (एमकॉम) [उपर्युक्त के अलावा आरबीआई नामित निदेशक है] आमंत्रित: i. सभी कार्यपालक निदेशक ii. कोई अन्य कार्यपालक, यदि समिति द्वारा आवश्यक हो सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(1) के अनुसार: i. लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम 3 निदेशक होंगे ii. सदस्यों में से 2/3 सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे iii. सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर होने चाहिए और न्यूनतम एक सदस्य को लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता होनी चाहिए। हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, आरबीआई के निर्देश/दिशानिर्देश सेबी के निर्देश से अधिक मान्य होंगे।
समिति का कार्यक्षेत्र/ संदर्भ के विषय /अधिकार	ए) लागू लेखांकन या संबंधित वित्तीय विशेषज्ञता आदि से संबंधित मामलों में बोर्ड की सहायता करना।

सन्दर्भ / शक्तियाँ	बी) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और किसी भी लागू विनियमों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की समग्र जिम्मेदारी सी) वार्षिक और त्रैमासिक आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण प्रक्रियाओं की देखरेख करना डी) जाँच और नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता से संबन्धित सभी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियाँ स्थापित करना। हालाँकि, लेखा परीक्षा समिति बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में कोई विशेषज्ञ या अन्य विशेष आश्वासन प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। ई) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले समिति द्वारा तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा एफ) बैंक के भीतर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के निरीक्षण/लेखापरीक्षा, उनकी आवधिकता और समय-निर्धारण, कवरेज और गुणवत्ता, ताकि प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सुनिश्चित हो सके। जी) रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा, विशेष रूप से "असंतोषजनक" शाखाओं, विशेष शाखाओं और बैंक द्वारा अतिरिक्त बड़ी शाखाओं के रूप में वर्गीकृत शाखाओं की समीक्षा एच) भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण/लेखा परीक्षा रिपोर्ट और साविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जिसमें दीर्घ प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रबंधन पत्र शामिल हैं, का अनुपालन। आई) निरीक्षण रिपोर्टों के असंतोषजनक अनुपालन, अनुपालन में देरी और कमियों को ठीक न करने के लिए जवाबदेही। जे) गंभीर अनियमितताओं का पता लगाने में निरीक्षण अधिकारियों की ओर से चूक (जो बाद में प्रकाश में आई।) के) बैंक के खातों में अधिक पारदर्शिता और लेखांकन नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक में लेखांकन नीतियों/प्रणालियों की समय-समय पर समीक्षा

	एल) बैंक के सम्पूर्ण लेखापरीक्षा कार्य के संचालन की देखरेख के साथ-साथ दिशा-निर्देश प्रदान करना। सम्पूर्ण लेखापरीक्षा कार्य में बैंक के भीतर आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण की व्यवस्था, संचालन और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल होगा तथा बैंक की सांविधिक बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन भी शामिल होगा। एम) आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, एसीबी को बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्य, प्रणाली और अनुवर्ती कार्रवाई के सन्दर्भ में इसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता की समीक्षा करनी चाहिए। इसे विशेषीकृत और अतिरिक्त बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करनी चाहिए। इसे विशेष रूप से अंतर-शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में असंगत लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में बही के संतुलन में बकाया, धोखाधड़ी और हाउसकीपिंग के अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। एन) बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए और उनकी समीक्षा करनी चाहिए। ओ) सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में, एसीबी को दीर्घ प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए तथा वार्षिक/अर्धवार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत करनी चाहिए। पी) एसीबी को आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/चिंताओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए। क्यू) एसीबी को आवंटित विभिन्न नीतियों की मंजूरी

अध्यक्ष	धारा 9(3)(g) के तहत नियुक्त गैर-कार्यपालक निदेशक यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। उपरोक्त धारा के तहत नियुक्त निदेशक की अनुपस्थिति में, सदस्यों में से कोई भी, प्राथमिक रूप से एक स्वतंत्र निदेशक एसीबी के अध्यक्ष को यह नहीं करेंगे : ए. बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता करना और बी. एम.कॉम, सीएसी या किसी अन्य समिति के सदस्य नहीं होंगे, जिसे ऋण जोखिम स्वीकृत करने का अधिदेश प्राप्त हो।
कोरम	तीन सदस्य [धारा 9(3)(जी) के अंतर्गत नियुक्त गैर-कार्यकारी निदेशक अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित और उपरोक्त धारा के अंतर्गत नियुक्त निदेशक की अनुपस्थिति में, कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित व्यावसायिक विशेषज्ञता/योग्यता होगी]
आवधिकता	प्रत्येक तिमाही में एक बार, वर्ष में कम से कम 6 बार। आमतौर पर बोर्ड की बैठक से पहले तथा दो क्रमिक बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
एस्कलेशन मैट्रिक्स / रिपोर्टिंग	i. विचारार्थ विषय के अलावा कोई भी अन्य मामला बोर्ड के समक्ष उठाया जाएगा ii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में एसीबी का एजेंडा बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14ए द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे एस.ओ.366 (ई) दिनांक 25.01.2021 द्वारा सम्मिलित किया गया है। iii. कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, प्रशासन पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, उसे बोर्ड के समक्ष उठाया जाना चाहिए।
समीक्षा का कैलेंडर	अनुलग्नक 4 के अनुसार

8.3 निदेशक पदोन्नति चयन समिति

स्रोत	वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग की अधिसूचना क्रमांक फ.सं.4/3/1/2012-आईआर दिनांक 08.12.2016 के आधार पर गठित।
सदस्यता	i. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सबसे वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक की अनुपस्थिति में एमडी एवं सीईओ का पद धारण करने वाला कोई भी) ii. भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक iii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
समिति का कार्यक्षेत्र / संदर्भ का विषय / शक्तियाँ	स्केल VI से VII और स्केल VII से VIII तक के अधिकारियों की पदोन्नति हेतु चयन समिति।
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यदि पद रिक्त हो तो सबसे वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक)
कोरम	तीन – अर्थात सभी सदस्य उपस्थित होने चाहिए।
आवधिकता	आवश्यकतानुसार।
एस्केलेशन मैट्रिक्स / रिपोर्टिंग	संदर्भ के महत्वपूर्ण विषय के कारण कोई एस्केलेशन मैट्रिक्स निर्धारित नहीं है। प्रक्रिया में यदि कोई न्यायिक विवाद उत्पन्न होता है तो मामला बोर्ड को अग्रेषित किया जाएगा।

8.4 बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति

स्रोत	आर्थिक मामलों के विभाग, बैंकिंग प्रभाग, सतर्कता अनुभाग के पत्र क्रमांक फ.सं.10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांक 24.01.1990 तथा वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के पत्र फ.सं. 4/3/1/2012-आईआर दिनांक 08.12.2016 के आधार पर गठित।
सदस्यता	i. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यदि प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद रिक्त हो तो सबसे वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक) ii. भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक iii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक iv. धारा 9(3)(h) और (i) के अंतर्गत नियुक्त कोई भी दो निदेशक, उपलब्ध निदेशकों की संख्या के अनुसार।
समिति का कार्यक्षेत्र / संदर्भ की शर्तें / शक्तियाँ	1. सतर्कता एवं गैर-सतर्कता मामलों की त्रैमासिक समीक्षा 2. बैंक ऑफ इंडिया (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 के अंतर्गत स्केल VI व VII के अधिकारियों की अपील व समीक्षा याचिकाएं।
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यदि प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद रिक्त हो तो सबसे वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक)। यदि किसी अपील में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुशासनाधिकारी रहे हों, तो वे उस एजेंडा से स्वयं को अलग करेंगे।
कोरम	तीन सदस्य
आवधिकता	आवश्यकतानुसार
एस्केलेशन मैट्रिक्स / रिपोर्टिंग	यदि कोरम पूरा न हो, तो समिति का एजेंडा राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14ए (एस.ओ.366(ई) दिनांक 25.01.2021 द्वारा जोड़ी गई) के अनुसार बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है।

8.5 हितधारक संबंध समिति

स्रोत	सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 के विनियमन 20 के आधार पर गठित।
सदस्यता	कम से कम तीन निदेशक, जिनमें एक स्वतंत्र (गैर-कार्यपालक) निदेशक अनिवार्य। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
समिति का कार्यक्षेत्र / संदर्भ के विषय / शक्तियाँ	i. शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों व अन्य प्रतिभूति धारकों के हितों से संबंधित विषयों को विशेष रूप से देखना ii. सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान जैसे अंतरण, रिपोर्ट/डिविडेंड प्राप्त न होना, आदि iii. शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के उपायों की समीक्षा iv. रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए अपनाए गए मानकों का पालन v. सूचीबद्ध इकाई द्वारा दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा
अध्यक्ष	प्रत्येक बैठक की शुरुआत में कोई भी गैर-कार्यपालक निदेशक नामांकित किया जाना है।
कोरम	दो सदस्य – जिनमें कम से कम एक कार्यपालक निदेशक का उपस्थित होना अनिवार्य।
आवधिकता	वर्ष में कम से कम एक बार एवं कभी भी समिति द्वारा आवश्यकता हो।
एस्केलेशन मैट्रिक्स / रिपोर्टिंग	i. संदर्भ के विषय के अतिरिक्त कोई भी विषय बोर्ड को अग्रेषित किया जाएगा। ii. उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि कोरम अपर्याप्त हो, तो समिति का एजेंडा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14ए (जो एस.ओ.366(ई) दिनांक 25.01.2021 द्वारा जोड़ी गई है) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है। iii. यदि कोई विषय संस्था की स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम, या गवर्नेंस से संबंधित हो, तो उसे बोर्ड को भेजा जाएगा।

8.6. शेयर अंतरण समिति

स्रोत	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ़.सं.16/2/2001/-बी.ओ.आई. दिनांक 08.10.2003 तथा बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 के अनुसार संस्थापित
सदस्यता	i. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (इनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक) ii. दो शेयरधारक निदेशक कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा
समिति का कार्यक्षेत्र/ संदर्भ की शर्तें/शक्तियां	शेयर अंतरण/अंतरण, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने, आदि के मामलों पर विचार करना तथा अनुमोदित करना
अध्यक्ष	प्रत्येक बैठक की शुरुआत में किसी गैर-कार्यपालक निदेशक को नामित किया जाएगा
कोरम	2- कम से कम एक गैर- कार्यपालक निदेशक की उपस्थिति अनिवार्य है
आवधिकता	जब भी आवश्यक हो
एसक्लेशन मैट्रिक्स/रिपोर्टिंग	i. संदर्भ की शर्तों के अलावा कोई भी विषय बोर्ड के समक्ष उठाया जाएगा ii. उपरोक्त के अलावा, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति की कार्यसूची बोर्ड के पास ले जायी जा सकती है जैसा कि राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 की धारा 14ए द्वारा प्रदान किया गया है जिसे एस.ओ.366(ई) दिनांक 25.01.2021 द्वारा सम्मिलित किया गया है।

8.7 धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती हेतु बोर्ड की विशेष समिति :

स्रोत	आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/डीओएस/2024-25/118 डीओएस.सीओ.एफ़एमजी.एसईसी.सं.5/23.04.001/2024-25 दिनांक 15.07.2024 के अनुसार गठित
सदस्यता	i. एमडी एवं सीईओ ii. कार्यपालक निदेशक iii. न्यूनतम दो स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक iv. सरकार द्वारा नामित निदेशक
समिति का कार्यक्षेत्र/ संदर्भ की शर्तें/शक्तियां	i. यदि कोई प्रणालीगत खामियाँ हैं जिनके कारण धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है, तो उसकी पहचान करें और उन्हें दूर करने के लिए उपाय करें; ii. यदि कोई हो, तो पता लगाने में देरी के कारणों की पहचान करना और बैंक तथा आरबीआई के शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करना; iii. सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति तथा वसूली की स्थिति की निगरानी करना। iv. सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ की जवाबदेही की जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो कर्मचारियों की ओर से कार्रवाई बिना समय गँवाए जल्दी पूरी की जाती है; v. धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों की प्रभावशीलता की समीक्षा करना, जैसे कि आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना vi. धोखाधड़ी के विरुद्ध निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले अन्य उपाय लागू करना vii. बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी करना viii. मूल कारण के विश्लेषण सहित धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा तथा निगरानी करना तथा ix. आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए उपाय सुझाना
अध्यक्ष	प्रत्येक बैठक की शुरुआत में किसी गैर-कार्यपालक निदेशक को नामित किया जाएगा
कोरम	दिशानिर्देशों में इस समिति के लिए कोई कोरम निर्धारित नहीं किया गया है। यद्यपि, हम तीन सदस्यों की संख्या प्रस्तावित करते हैं, जहां कम से कम एक गैर- कार्यपालक निदेशक की उपस्थिति आवश्यक होगी।
आवधिकता	प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक
एसक्लेशन मैट्रिक्स/रिपोर्टिंग	i. संदर्भ के विषयों के अलावा कोई भी विषय बोर्ड के समक्ष उठाया जाएगा ii. उपरोक्त के अलावा, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति की कार्यसूची बोर्ड के पास ले जायी जा सकती है जैसा कि राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 की धारा 14ए द्वारा प्रदान किया गया है जिसे एस.ओ.366(ई) दिनांक 25.01.2021 द्वारा सम्मिलित किया गया है। iii. कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उसे बोर्ड के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

8.8 **बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति:**

स्रोत	आरबीआई के नवीनतम परिपत्र डीओआर.जीओवी आरईसी.8/219.67.001/2021-22 दिनांक 26.04.2021 के अनुसार पुनर्गठित।
सदस्यता	i. एमडी एवं सीईओ ii. न्यूनतम एक कार्यपालक निदेशक iii. न्यूनतम दो गैर- कार्यपालक निदेशक ✓ गैर-कार्यपालक निदेशकों के बहुमत के साथ गठित किया जाना ✓ न्यूनतम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता / योग्यता होगी ✓ बोर्ड का अध्यक्ष केवल तभी सदस्य हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो
समिति का कार्यक्षेत्र/ अधिकार क्षेत्र/ शक्तियों	i. जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा। ii. बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित साइबर सुरक्षा, सहित ऐसे अन्य कार्य जो उचित समझा जा सके। iii. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें विशेष रूप से सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा शामिल होगा, विशेष रूप से वित्तीय, परिचालनात्मक,खंड विशेष, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी अन्य जोखिम सहित, पहचान किए गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय और कारोबार निरंतरता योजना। iv. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के कारोबार से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त पद्धति, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं। v. जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना। vi. समय-समय पर जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा करना, दो साल में न्यूनतम एक बार, जिसमें बदलते उद्योग की गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है। vii. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के संदर्भ में सूचित रखना। viii. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी। ix. जोखिम प्रबंधन समिति निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार, ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ किसी भी ओवरलैप होने के मामलों में अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करेगी।

	x. बैंक की सभी जोखिम प्रबंधन गतिविधियों को पूरा करने के लिए जिसमें अंतर्निहित जोखिम धारणाओं की पहचान करना, जोखिम मूल्यांकन और परिमापन पद्धतियों को निर्धारित करना, जोखिम एक्सपोजर के लिए सहिष्णुता स्तर निर्धारित करना, जोखिम प्रबंधन और न्यूनीकरण तकनीकों पर लाइन प्रबंधन का मार्गदर्शन करना शामिल है। xi. समिति नीतिगत दिशानिर्देशों की भी जांच करती है और ऋण, बाजार परिचालन आदि सहित विभिन्न जोखिमों का अध्ययन करती है और जोखिमों को आरंभ करने के उपाय सुझाती है। xii. ईडब्ल्यूएस और आरएफए के लिए ढांचे की प्रभावशीलता की निगरानी करें। xiii. ऋण सुविधाओं/ऋण खातों और अन्य बैंकिंग लेनदेन की निगरानी के लिए पहचाने गए ईडब्ल्यूएस संकेतकों को अनुमोदित करना। xiv. ईडब्ल्यूएस अलर्ट/ट्रिगर्स की जांच के लिए उपयुक्त टर्नअराउंड समय (टीएटी) निर्धारित करना। xv. ईडब्ल्यूएस अलर्ट/ट्रिगर, बैंक द्वारा शुरू की गई उपचारात्मक कार्रवाइयों आदि सहित आवधिक अंतरालों पर लाल संकेतों वाले खातों की स्थिति की समीक्षा करना। xvi. ईडब्ल्यूएस/आरएफए ढांचा आरएमसीबी के निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सत्यापन के अधीन होगा ताकि इसकी अखंडता, मजबूती और परिणामों की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।
अध्यक्ष	i. प्रत्येक बैठक की शुरुआत में नामित किया जाने वाला कोई भी गैर-कार्यपालक निदेशक हालांकि, अध्यक्ष बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति का अध्यक्ष नहीं होगा (निदेशकों की पूरी संख्या की उपलब्धता के बाद ही अनुपालन किया जा सकता है)।
कोरम	i. तीन – (न्यूनतम एक गैर- कार्यपालक निदेशक की उपस्थिति अनिवार्य है)
अवधि	i. प्रत्येक तिमाही में एक बार
एस्केलेशन मैट्रिक्स / रिपोर्टिंग	i. विचारार्थ विषयों के अलावा किसी भी मामले को बोर्ड के पास भेजा जाएगा। ii. उपरोक्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति के कार्यसूची को बोर्ड के पास ले जाया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14ए द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे एस.ओ.366(ई) दिनांक 25.01.2021 द्वारा सम्मिलित किया गया है। iii. कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, शासन पर भौतिक प्रभाव पड़ता है, उसे बोर्ड के पास भेजा जाना चाहिए।
समीक्षा का कैलेंडर	अनुलग्नक 4 के अनुसार

8.9 बोर्ड के ग्राहक सेवा समिति

स्रोत		भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 14.08.2004 के पत्र और भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीआर नं बीसी.21/09.07.006/2015016 दिनांक 01.07.2015 एवं डीएफएस अधिसूचना संख्या फ.सं.16/18/2015-बी.ओ.आई/एफटीएस- 72700 दिनांक 23.02.2015 लेग के अनुसार गठित।
सदस्यता	i. ii. iii. iv. v.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कार्यपालक निदेशक सरकार द्वारा नामित निदेशक (डीएफएस के दिनांक 23.02.2015 के पत्र के अनुसार) न्यूनतम एक गैर- कार्यपालक निदेशक बैठक के लिए आंतरिक लोकपाल आमंत्रित किया जाएगा।
समिति का कार्यक्षेत्र/ अधिकार क्षेत्र/ शक्तियों	➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢	बैंकिंग प्रणाली में कॉर्पोरेट शासन संरचना को मजबूत करने की दृष्टि से नीतियों को तैयार करना और आंतरिक रूप से उनके अनुपालन का आकलन करना। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना। बैंक में ग्राहक सेवाओं के स्तर का मूल्यांकन करना। एक व्यापक जमा नीति का निर्माण। खाते के संचालन के लिए जमाकर्ता की मृत्यु पर कार्रवाई जैसे मुद्दों को संबोधित करना। उपयुक्तता और सटीकता की दृष्टि से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया। जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर असर डालने वाले किसी भी अन्य मुद्दों की जांच करना। विभिन्न राज्यों के बैंकिंग लोकपाल द्वारा हल की गई शिकायतों/परिवादों के संबंध में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना। समिति ग्राहक सेवा में सुधार के लिए ग्राहकों को उनके मूल्यवान सुझावों के लिए आमंत्रित करती है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंक सुविधाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना। कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करना।

	ग्राहक खातों में नामांकन पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा करना
अध्यक्ष	प्रत्येक बैठक की शुरुआत में गैर-कार्यकारी निदेशक को नामित किया जाएगा
कोरम	तीन
आवधिकता	तिमाही
एस्कलेशन मैट्रिक्स/ रिपोर्टिंग	i. विचारार्थ विषय के अलावा कोई भी अन्य मामला बोर्ड के समक्ष भेजा जाएगा। ii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति का एजेंडा बोर्ड के समक्ष ले जाया जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14ए द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे एस.ओ.366(ई) दिनांक 25.01.2021 द्वारा सम्मिलित किया गया है। iii. कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, प्रशासन पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, उसे बोर्ड के समक्ष उठाया जाना है।
समीक्षा का कलेंडर	अनुलग्नक 4 के अनुसार

8.10. आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति

स्रोत	आईटी रणनीति समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन और विविध प्रावधान योजना 1970 के धारा 14 के अनुसार हुआ था और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति का गठन इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के फ़ाइल संख्या 12(11)/2017-डीपीडी – एमसीआईटीवाई , दिनांक 31.08.2017 तथा आईबीए के निदेश दिनांक 04.08.2017 और 12.09.2017 के तहत हुआ था। आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति का एकीकरण डीएफ़एस की अधिसूचना संख्या 16/19/2019बीओ.आई, दिनांक 30.08.2019 के अनुरूप किया गया । आगे डीएफ़एस के दिशानिर्देश फ़ाइल संख्या 01/18/2017/सीएस दिनांक 06.06.2018 के अनुसार सरकार द्वारा नामित निदेशक विशेष रूप से साइबर सुरक्षा नीतियों के लिए बैठक में भाग लेंगे। नवीनतम आरबीआई परिपत्र संख्या डीओएस .कीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023-24 दिनांक-07.11.2023.
सदस्यता	I एमडी एवं सीईओ II कार्यपालक निदेशक III सरकार द्वारा नामित निदेशक* और IV कम से कम दो गैर कार्यपालक निदेशक V आमंत्रित विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में आईटी पेशेवर VI आरबीआई दिशानिर्देश दिनांक 07.11.2023 के अनुसार, सीआईएसओ (आमंत्रित व्यक्ति के रूप में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रह सकते हैं।) सभी सदस्य तकनीकी रूप से सक्षम होने चाहिए यानी यहां तकनीकी सक्षम का अर्थ है सूचना प्रणाली और आईटी संबद्ध/साइबर जोखिम को समझना और मूल्यांकन करना। *आर्थिक मामले विभाग के फ़ाइल संख्या 01/18/2017-सीएस दिनांक -06.7.2018 के दिये गए दिशानिर्देश के अनुसार सरकार द्वारा नामित निदेशक को आईटी रणनीति के सदस्य के रूप में नामित करने का सुझाव दिया गया है जो साइबर सुरक्षा नीति की निगरानी करते हैं और इसलिए वह साइबर सुरक्षा और ऐसे मामलो से संबन्धित नीतियों में योगदान देगा।
समिति का कार्य –क्षेत्र शक्तियों के संदर्भ में	बोर्ड/ आईटी रणनीति समिति अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित कर सकता है :- i. यह सुनिश्चित करे कि बैंक ने एक प्रभावी आईटी रणनीति आयोजन प्रक्रिया जारी की है। ii. आईटी रणनीति तैयार करने में मार्गदर्शन करना, जिसमें आईटी को अपनाने के संबंध में बैंक की समग्र रणनीति शामिल हो, तथा यह सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति बैंक के व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी समग्र रणनीति के अनुरूप हो। iii. और इससे संतुष्ट हो कि आईटी गवर्नेंस और सूचना सुरक्षा गवर्नेंस ढांचा कार्यक्षम और प्रभावी है और संगठन के प्रत्येक स्तर पर उसके उद्देश्य और जिम्मेदारिया स्पष्ट रूप से परिभाषित है तथा जवाबदेही का पोषक है। iv. साइबर सुरक्षा जोखिमों सहित आईटी जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं लागू करने को सुनिश्चित करना, v. सुनिश्चित करें कि आईटी कार्य (आईटी सुरक्षा सहित) के लिए बजटीय आवंटन आरई की आईटी परिपक्वता, डिजिटल व्यापकता, खतरे के माहौल और उद्योग मानकों के अनुरूप हो और इसका उपयोग बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाए.

	vi. आरई कंपनी की कारोबार निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी प्रबंधन पर जिम्मेदारी और निगरानी रखना vii. रणनीतिक आईटी योजना, आईटी प्रदर्शन की निगरानी और आईटी गतिविधियों को व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने में बोर्ड/आईटी रणनीति समिति की सहायता करना viii. आईटी संचालन समिति की गतिविधियों के बारे में बोर्ड/आईटी रणनीति समिति और सीईओ को समय-समय पर जानकारी देना। ix. कारोबार निरंतरता नियोजन प्रक्रिया की देखरेख करना, जिसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि यह पहचाने गए जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण कैसे करेगा और साथ ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता देगा; प्रभावी आपदा रिकवरी प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा/तंत्र स्थापित करना; X. आईटी परियोजना की सफलता के मापदंड निर्धारित करना और आईटी परियोजनाओं की प्रगति का अनुगमन करना xi. प्रौद्योगिकी मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना xii. वैधानिक और विनियामक अनुपालन को पूरा करने वाले एक मजबूत आईटी आर्किटेक्चर के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना xiii. आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना xiv. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है XV. इस बात की पुष्टि करना कि कारोबार रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के अनुरूप है xvi. यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक संरचना कारोबार मॉडल और उसकी दिशा का पूरक हो xvii. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाएं और परिपाटियां लागू किए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आईटी कारोबार को मूल्य प्रदान करता है xviii. यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिम और लाभ के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और बजट स्वीकार्य हैं xix. रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशा प्रदान करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि की निगरानी करना

	xx. बैंक की वृद्धि को बनाए रखने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना xxi. आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा प्रबंधन द्वारा आईटी जोखिमों की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना xxii. आईटी रणनीतियों को लागू करने में वरिष्ठ प्रबंधन के प्रदर्शन का आकलन करना xxiii. उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन जारी करना (जैसे जोखिम, वित्तपोषण या सोर्सिंग कार्यों से संबंधित) xxiv. यह पुष्टि करना कि क्या आईटी या कारोबार संरचना को इस तरह से डिजाइन किया जाना है, जिससे आईटी से अधिकतम व्यावसायिक मूल्य प्राप्त किया जा सके xxv. बैंक स्तर पर आईटी के समग्र वित्तपोषण की देखरेख करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं या नहीं। xxvi. आईटी निष्पादन का मापन एवं आईटी के कारोबार में योगदान की समीक्षा करना (अर्थात, वादा किया गया मूल्य प्रदान करना) xxvii. परियोजना प्राथमिकताओं को परिभाषित करना और आईटी प्रस्तावों के लिए रणनीतिक उपयुक्तता का आकलन करना xviii. निरंतर रणनीतिक प्रासंगिकता के लिए पोर्टफोलियो समीक्षा करना xxix. कारोबार प्रक्रिया में मूल्य-संवर्द्धन का आकलन करने के बाद समीक्षा, अनुमोदन और वित्तपोषण हेतु पहल करना xxx. सपोर्ट और विकास के लिए निवेश के बीच संतुलन xxxi. यह सुनिश्चित करना कि सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में "परियोजना जोखिम प्रबंधन" के लिए एक घटक हो xxxii. अभिशासन (गवर्नेंस), जोखिम और नियंत्रण ढांचे को प्रायोजित करना या सहायता प्रदान करना, तथा प्रमुख आईटी गवर्नेंस प्रक्रियाओं का निर्देशन और निगरानी करना xxiii. परियोजना की सफलता के मापदंड को परिभाषित करना और आईटी परियोजनाओं की प्रगति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। xxxiv. मानकों के भीतर प्रौद्योगिकी के चयन पर परामर्श और सलाह देना। xxxv. बुनियादी ढांचे के उत्पादों पर सलाह देना xxxvi. प्रौद्योगिकी मानकों और प्रथाओं से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करना xxxvii. नई प्रौद्योगिकी के जोखिम का आकलन किया जाना सुनिश्चित करना।

	xxviii. प्रौद्योगिकी मानकों और दिशानिर्देशों के अनुपालन का सत्यापन करना। xxix. संरचनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुप्रयोग पर परामर्श और सलाह देना xi. विनियामक और वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना xii. संरचनात्मक डिजाइन के लिए आईटी को निदेश देना और यह सुनिश्चित करना कि आईटी संरच विधायी और नियामक अनुपालन, सूचना के नैतिक उपयोग और कारोबार निरंतरता की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करती है।
अध्यक्ष	बैठक की शुरुआत में किसी गैर- कार्यपालक निदेशक को नामित किया जाएगा । अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा और सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के प्रबंधन/मार्गदर्शन में पर्याप्त आईटी विशेषज्ञता रखता होगा। पर्याप्त आईटी विशेषज्ञता का अर्थ है कि व्यक्ति के पास सूचना प्रणालियों के प्रबंधन और/या प्रौद्योगिकी का नेतृत्व/मार्गदर्शन करने/ साइबर सुरक्षा पहलों/परियोजनाओं में कम से कम सात साल का अनुभव है। ऐसे को सदस्यों को व्यापक स्तर पर कारोबार प्रक्रिया और इन प्रक्रियाओं पर आईटी के प्रभाव की भी समझ होनी चाहिए।
कोरम	तीन – कम से कम एक गैर-कार्यपालक निदेशक की उपस्थिति अनिवार्य है
आवधिकता	त्रैमासिक
एस्कलेशन मैट्रिक्स/ रिपोर्टिंग	i संदर्भ की शर्तों के अलावा कोई भी मामला बोर्ड के समक्ष भेजा जाएगा। ii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति का एजेंडा बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14ए द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे एसओ 366 ई दिनांक 25.01.2021 द्वारा सम्मिलित किया गया है। iii. कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, प्रशासन पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, उसे बोर्ड के समक्ष ले जाना चाहिए।
समीक्षा का कैलेंडर	अनुलग्नक 4 के अनुसार

8.11 निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

स्रोत	आरबीआई मास्टर परिपत्र डीबीआर एपीटी संख्या 9/29.67.001/2019-20 संदर्भ संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 दिनांक 02.08.2019 जो कि नवीनतम आरबीआई परिपत्र डीओआर.जीओवी.आरईसी.8/219.67.001/2021-22 दिनांक 26.04.2021 के माध्यम से जारी किया गया है, के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का एकीकरण किया गया।
सदस्यता	i. बैंक के शेयरधारक निदेशक। ii. दो अन्य गैर- कार्यपालक निदेशक जिनमें से एक जोखिम प्रबंधन समिति का सदस्य होगा। iii. सरकारी नामित निदेशक (आरबीआई के दिनांक 19.09.2020 के पत्र डीओआर.एपीपीटी संख्या 543/08.03.001/2020-21 के अनुसार, कोरम पूरा न होने की स्थिति में बैंक को समिति के सदस्य के रूप में सरकारी नामित निदेशक रखने की अनुमति है।)
समिति का कार्यक्षेत्र/संदर्भ की शर्तें/शक्तियाँ	समिति ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (सी) के तहत अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए सम्यक तत्परता की प्रक्रिया शुरू की। 17.09.2022 के बोर्ड अनुमोदन के अनुसार, एनआरसी पूर्णकालिक निदेशकों के लिए भी सक्षम प्राधिकारी है, जो वर्तमान बोर्ड में नहीं हैं ।
अध्यक्ष	प्रत्येक बैठक की शुरुआत में किसी भी गैर- कार्यपालक निदेशक को नामित किया जाएगा। बोर्ड का अध्यक्ष एनआरसी की अध्यक्षता नहीं करेगा।
कोरम	तीन
आवधिकता	जब भी आवश्यकता हो।
एस्केलेशन मैट्रिक्स/रिपोर्टिंग	i. विचारणीय विषय के अलावा कोई भी मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। ii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति का एजेंडा बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14ए द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे एसओ 366 ई दिनांक 25.01.2021 द्वारा सम्मिलित किया गया है।

8.12. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति :

स्रोत	डीएफ़एस , वित्त मंत्रालय , भारत सरकार संचार एफ़ संख्या 9/18/2009- आईआर दिनांक 21.10.2011 के अनुसार गठित
सदस्यता	i प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ii कार्यपालक निदेशक iii सरकार द्वारा नामित निदेशक (डीएफ़एस के दिनांक 23.02.2015 के संचार के अनुसार) iv दो गैर- कार्यपालक निदेशक (जिनमें से एक निदेशक को मानव संसाधन प्रबंधन में अनुभव होना चाहिए या मानव संसाधन पेशेवर होने चाहिए)। वर्तमान में बैंक ने एक मानव संसाधन विशेषज्ञ को भी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया है
समिति का कार्यक्षेत्र/संदर्भ की शर्तें/ शक्तियाँ	मानव संसाधन पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना, मानव संसाधन प्रबंधन योजना और मानव संसाधन पर संबन्धित नीतियों की समीक्षा करना जैसा कि डीएफ़एस संचार एफ़ सं. 9/18 2009- आईआर दिनांक 21.10.2011 के माध्यम से संदर्भित खंडेलवाल समिति द्वारा सुझाया गया है।
अध्यक्ष	प्रत्येक बैठक के आरंभ में किसी भी गैर – कार्यपालक निदेशक नामित किया जाएगा।
कोरम	तीन
आवधिकता	जब भी आवश्यक हो ।
एस्केलेशन/ मट्रिक्स/रेपोर्टिंग	i विचारार्थ विषय के अलावा कोई भी अन्य मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। ii उपयुर्क्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति का एजेंडा बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 कि धारा, 14ए द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे एसओ366 (ई) दिनांक 25.01.2021 द्वारा सम्मिलित किया गया है। iii कोई भी मामला जिसका बैंक कि वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, प्रशासन पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, उसे बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।
कैलेंडर समीक्षा	अनुलग्नक 4 के अनुसार

8.13. जानबूझकर ऋण ना चुकाने वालों की घोषणा के लिए समीक्षा समिति

स्रोत	डीबीआर संख्या 10001/2005 के अनुसार आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित सीआईडी/बीसी/22/20.16.003/2015-16 दिनांक 01.07.2015
सदस्यता	i अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक और सीईओ ii कम से कम दो गैर कार्यपालक निदेशक
समिति का कार्यक्षेत्र/संदर्भ की शर्तें/शक्तियाँ	उन उधारकर्ताओं को विलफुल डिफ़ाल्टर घोषित करना जिनकी पहचान समिति द्वारा की गयी है। चुकि गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की घोषणा के लिए समीक्षा समिति को भंग कर दिया गया है , इसीलिए गैर-सहकारी उधारकर्ता से संबन्धित किसी भी मामले से निपटने के लिए समिति को ही अधिकार दिया जाएगा ।
अध्यक्ष	अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक और सीईओ
कोरम	तीन
आवधिकता	जब भी आवश्यक हो ।
एस्केलेशन/ मट्रिक्स/रेपोर्टिंग	i विचारार्थ विषय के अलावा कोई भी अन्य मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। ii उपयुर्क्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति का एजेंडा बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 कि धारा, 14ए द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे एसओ366 (ई) दिनांक 25.01.2021 द्वारा सम्मिलित किया गया है। iii कोई भी मामला जिसका बैंक कि वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, प्रशासन पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, उसे बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

8.14. उच्च मूल्य एनपीए और हानि परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए समिति :

स्रोत	डीएफ़एस , संचार एफ़ संख्या 7/112/2012- बीओए दिनांक 21.11.2012 के अनुसार गठित
सदस्यता	i प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ii कार्यपालक निदेशक iii सरकार द्वारा नामित निदेशक धारा 9(3) (एच) या 9(3)(i) के तहत कम से कम एक गैर – कार्यकारी निदेशक
समिति का कार्यक्षेत्र/संदर्भ की शर्तें/ शक्तियाँ	समिति का गठन उच्च मूल्य एनपीए और हानी वाली परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए किया गया था , ताकि शीर्ष 30 एनपीए की वसूली और समीक्षा की जा सके। हालांकि वर्तमान में एनसीएलटी खातों , दायर वादों और बोर्ड द्वारा , अनिवार्य अन्य मदों की समीक्षा के अलावा बैंक के शीर्ष 50 एनपीए समूह उधारकर्ताओं की समीक्षा करती है।
अध्यक्ष	धारा 9(3) (एच) या 9(3)(आई) के तहत कम से कम एक गैर – कार्यकारी निदेशकों मे से कोई एक या 9(3)(i) प्रत्येक बैठक की शुरुआत में नामित किया जाएगा ।
कोरम	तीन
आवधिकता	समिति के मार्गदर्शन में कहा गया है कि अवधिकता मासिक है। हालांकि बोर्ड ने 08.02.2019 को द्वि-मासिक आवधिकता को मंजूरी दे दी है ।
एस्केलेशन/ मट्रिक्स/रेपोर्टिंग	i विचारार्थ विषय के अलावा कोई भी अन्य मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। ii उपयुर्क्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति का एजेंडा बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है, जैसा कि राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 कि धारा, 14ए द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे एसओ366 (ई) दिनांक 25.01.2021 द्वारा सम्मिलित किया गया है। iii कोई भी मामला जिसका बैंक कि वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, प्रशासन पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, उसे बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।
कैलेंडर समीक्षा	अनुलग्नक 4 के अनुसार

8.15. बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक समिति:

स्रोत	सेबी-एलओडीआर 2015 के विनियमन 25 के अनुसार तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट गठित।
सदस्यता	धारा 9(3)(जी),(एच) एवं (आई) के तहत नियुक्त निदेशक
समिति का कार्यक्षेत्र/संदर्भ शर्तें/शक्तियाँ	i. गैर-स्वतंत्र निदेशकों और सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना ; ii. कार्यपालक निदेशकों और गैर- कार्यपालक निदेशकों के अभिमतों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के अध्यक्ष के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना; iii. कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के मध्य सूचना प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयसीमा का आकलन करना ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी और उचित तरीके से पालन कर सकें। iv. बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों की प्रभावशीलता की समीक्षा करना
अध्यक्ष	प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में किसी भी गैर- कार्यपालक निदेशक को नामित किया जाना
कोरम	सभी निदेशक
आवधिकता	छः माह में एक बार
एस्केलेशन मैट्रिक्स / रिपोर्टिंग	i. संदर्भ शर्तों के अतिरिक्त कोई भी मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा ii. कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा और प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उसे बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

8.16 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

स्रोत	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत भारत सरकार के सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप गठित
सदस्यता	I. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ II. कार्यपालक निदेशक III. निदेशकों की उपलब्ध संख्या के आधार पर तीन गैर- कार्यपालक निदेशक
समिति का कार्यक्षेत्र/संदर्भ शर्तें/शक्तियाँ	क. सीएसआर पर नीति तैयार करना और अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष इसकी अनुशंसा करना; ख. समय-समय पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के तहत बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करना और विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए बजट आवंटित करना; ग. बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समीक्षा और निगरानी करना;
अध्यक्ष	प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में किसी भी गैर- कार्यपालक निदेशक को नामित किया जाएगा
कोरम	तीन- कम से कम एक गैर- कार्यपालक निदेशक की उपस्थिति अनिवार्य है
आवधिकता	कोई आवृत्ति निर्धारित नहीं है। हम तिमाही परिणामों के पश्चात अर्धवार्षिक बैठक का प्रस्ताव करते हैं
एस्केलेशन मैट्रिक्स / रिपोर्टिंग	i. संदर्भ शर्तों के अतिरिक्त कोई भी मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा ii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति का एजेंडा राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14ए के तहत बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है, जिसे दिनांक 25.01.2021 के एस.ओ.366(ई) के तहत शामिल किया गया है। iii. कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उसे बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

8.17 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/कार्यपालक निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति

स्रोत	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, डीएफएस के दिनांक 30.08.2019 के निर्देश फ.सं.9/5/2009-आईआर और दिनांक 23.03.2021 के फ.सं. 9/5/2009-आईआर (भाग II) के अनुसार गठित
सदस्यता	I. गैर- कार्यपालक अध्यक्ष और उक्त पद में रिक्ति की स्थिति में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष II. सरकार द्वारा नामित निदेशक III. शेयरधारक निदेशक जिसने बैंक के बोर्ड में सबसे लंबे समय तक सेवा की हो यदि एक ही निदेशक दो श्रेणियों (जैसे एसीबी के अध्यक्ष होने के साथ-साथ सर्वाधिक समय तक सेवा करने वाले शेयरधारक निदेशक) के अंतर्गत आने के कारण उक्त समिति का सदस्य है, तो बैंक बोर्ड समिति में सदस्य के रूप में एक अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक को शामिल कर सकता है।
समिति का कार्यक्षेत्र/संदर्भ शर्तें/शक्तियाँ	I. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/ कार्यपालक निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग का मूल्यांकन करना II. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/ कार्यपालक निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) निर्धारित करना III. डीएफएस के दिनांक 06.02.2023 के अधिसूचना संख्या एफ.सं.9/5/2009-आईआर अनुसार, समिति होगी - • एमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी , समीक्षा अधिकारी और स्वीकृति अधिकारी • कार्यपालक निदेशकों के लिए समीक्षा अधिकारी और स्वीकृति अधिकारी • आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी सीजीएम/जीएम के लिए स्वीकृति अधिकारी
अध्यक्ष	सरकार द्वारा नामित निदेशक और एसीबी की अध्यक्षता करने वाले निदेशक के अतिरिक्त कोई भी गैर-कार्यकारी निदेशक
कोरम	तीन
आवधिकता	जब भी आवश्यक हो
एस्केलेशन मैट्रिक्स / रिपोर्टिंग	i.संदर्भ शर्तों के अतिरिक्त कोई भी मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा ii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति का एजेंडा राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14ए के तहत बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है, जिसे दिनांक 25.01.2021 के एस.ओ.366(ई) के तहत शामिल किया गया है। iii. कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उसे बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

8.18 समूह शासन इकाई समिति

स्रोत	सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एच/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2018/79 दिनांक 10.05.2018 के अनुसार गठित।
सदस्यता	• प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी • कार्यपालक निदेशक • शेयरधारक निदेशक • निदेशक की शक्ति के आधार पर कम से कम दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
समिति का कार्यक्षेत्र/संदर्भ की शर्तें/शक्तियाँ	गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यम और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दोनों घरेलू और विदेशी, के प्रशासन की निगरानी करने के लिए, सहायक कंपनियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में नीतियों की समीक्षा करें।
अध्यक्ष	हर बैठक की शुरुआत में किसी भी गैर- कार्यपालक निदेशक की नामांकन किया जाए
कोरम	कुल संख्या का आधा या तीन निदेशक, जो भी अधिक हो - कम से कम एक गैर-कार्यपालक निदेशक की उपस्थिति आवश्यक है।
आवधिकता	तिमाही
एस्केलेशन मैट्रिक्स / रिपोर्टिंग	i.संदर्भ शर्तों के अतिरिक्त कोई भी मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा ii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति का एजेंडा राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14ए के तहत बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है, जिसे दिनांक 25.01.2021 के एस.ओ.366(ई) के तहत शामिल किया गया है। iii. कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उसे बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

8.19 बोर्ड की ऋण मंजूरी समिति:

स्रोत	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली द्वारा 31 जनवरी 2012 की तिथि में जारी उनके संचार संदर्भ संख्या 13/1/2006-बीओ.1 के अनुसार स्थापित किया गया।
सदस्यता	(i) प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ii) कार्यपालक निदेशक (iii) सीजीएम / महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) और/या मुख्य जोखिम अधिकारी (iv) सीजीएम / महाप्रबंधक (वित्त) और/या मुख्य वित्तीय अधिकारी (v) सीजीएम / महाप्रबंधक (ऋण)
समिति का कार्यक्षेत्र/संदर्भ की शर्तें/शक्तियाँ	ऋण अनुमोदन समिति किसी भी एकल ऋण प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग करती है, जो 600 करोड़ रुपये तक है (बोर्ड की स्वीकृति दिनांक 21.01.2020)। हालाँकि, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, डीएफ़एस अधिसूचना संख्या एफ.संख्या.16/22/2019-बीओ.I दिनांक 17.09.2019 के अनुसार, पैरा 2(ii)(बी)(ए), सीएसी उन बैंकों के लिए 800 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग करेगी, जिनका कुल कारोबार 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
अध्यक्ष	एमडी और सीईओ (यदि एमडी और सीईओ के पद की रिक्ति हो, तो सबसे वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक)
कोरम	3 - एमडी और सीईओ और एक कार्यपालक निदेशक अनिवार्य हैं
आवधिकता	जब आवश्यक हो
एस्केलेशन मैट्रिक्स / रिपोर्टिंग	i.800 करोड़ रुपये से अधिक की सीमाओं पर प्रबंध समिति द्वारा विचार किया जाएगा। ii.संदर्भ शर्तों के अतिरिक्त कोई भी मामला बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। iii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अपर्याप्त कोरम के मामले में समिति का एजेंडा राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 14ए के तहत बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है, जिसे दिनांक 25.01.2021 के एस.ओ.366(ई) के तहत शामिल किया गया है। iv.कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उसे बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

8.20 एचएलसीसी-I

स्रोत	वित्त मंत्रालय के 03.04.2012 के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने संबंधित बोर्डों की मंजूरी के साथ विभिन्न स्तरों पर ऋण समितियों की स्थापना करने की सूचना दी गई थी। तदनुसार, मुख्य कार्यालय स्तर की ऋण समिति (एचएलसीसी) जो ईडी द्वारा नेतृत्व की जा रही थी, प्रधान कार्यालय में प्रस्तावों और अन्य ऋण संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए बनाई गई, जो एनबीजीएलसीसी के अधिकार से बाहर हैं और बोर्ड / एम कॉम के सीएसी को सौंपे गए ऋण संबंधित शक्तियों तक हैं।
सदस्यता	i. सभी कार्यपालक निदेशक ii. सभी सीजीएम जो जीएम के साथ संयोजन में समिति के प्रस्तावित गठन का हिस्सा हैं iii. ऋण के प्रभारी सीजीएम /महाप्रबंधक * iv. आरएमडी /सीआरओ के प्रभारी सीजीएम /महाप्रबंधक v. वित्त के अंतर्गत सीजीएम /महाप्रबंधक*क्रेडिट वर्टिकल के अंतर्गत महाप्रबंधक समिति के सदस्य होंगे जो उनके वर्टिकल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के लिए।
समिति का कार्यक्षेत्र/संदर्भ की शर्तें/शक्तियाँ	इस समिति के अंतर्गत आने वाले, ऋण और गैर-ऋण से संबंधित मामलों के प्रस्तावों पर विचार करना, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित वर्तमान अधिकारों के प्रतिनिधित्व के अनुसार हैं।
अध्यक्ष	बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक
कोरम	तीन - कम से कम एक ईडी, सीजीएम/जीएम, जोखिम प्रबंधन/सीआरओ और सीजीएम/जीएम, वित्त
आवधिकता	जब आवश्यक हो
एस्केलेशन मैट्रिक्स / रिपोर्टिंग	i. संदर्भ शर्तों के अतिरिक्त कोई भी मामला वित्तीय स्वीकृतियों के संदर्भ में सीएसी /एम कॉम को आगे समक्ष रखा जाएगा। ii. कोई भी मामला जिसका बैंक की वित्तीय स्थिति, प्रतिष्ठा, जोखिम धारणा, या प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो, उसे बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, बैंक ने निवेश से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए सीएसी की समान संरचना के साथ निवेश स्वीकृति समिति का गठन किया है। हालांकि, चूंकि यह समिति डीएफ़एस या आरबीआई से संबंधित किसी भी दिशा-निर्देशों के तहत नहीं बनाई गई है, इसलिए आगे चलकर, हम इस समिति को कार्यपालक स्तर की समिति के रूप में मानने की प्रस्तावना रखते हैं। इसी तरह, एक और समिति है जिसे एचएलसीसी -II कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक, ऋण करते हैं।

भाग II
निवेशक संबंध

9. बैंक एक सूचीबद्ध इकाई के रूप में

10. निवेशक संबंध

9. <u>बैंक एक सूचीबद्ध इकाई के रूप में</u>

9.1 एक सूचीबद्ध इकाई होने के नाते बैंक को उस पर लागू विभिन्न क़ानूनों और दिशानिर्देशों के अलावा सेबी के नियमों और स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीबद्धता करारों का भी पालन करना आवश्यक है। इसलिए निगमित प्रशासन में एक प्रमुख पदाधिकारी के रूप में कंपनी सचिव की भूमिका, कार्य और दायित्व अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के अलावा सार्वभौमिक बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की ओर जाने में बैंकों की बढ़ी हुई भूमिका के कारण यह और भी आवश्यक हो गया है।

9.2 <u>कंपनी सचिव की भूमिका</u>

बैंक में कंपनी सचिव के प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

ए) सूचीबद्ध विनियमों के अनुसार अनुपालन अधिकारी।

बी) सूचीबद्ध विनियमों के अनुसार बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के सचिव और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की कवरेज की आवश्यकता के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

कंपनी सचिव सूचीबद्ध विनियमों के विभिन्न खंडों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

ए. स्टॉक एक्सचेंजों को मूल्य की दृष्टि से संवेदनशील सूचना की निरंतर रिपोर्टिंग।

बी. वित्तीय परिणामों, लाभांश की घोषणा आदि पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठकों की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को देना।

सी. बोर्ड की बैठक समाप्त होने के 30 मिनट के भीतर (अथवा सेबी द्वारा निर्धारित नियमानुसार) वित्तीय परिणामों की सूचना देना।

डी. निर्धारित समय के भीतर अंशधारण का स्वरूप और वितरण अनुसूची दाखिल करना।

ई. बुक क्लोजर/रिकॉर्ड तिथि के लिए सूचना जारी करना।

एफ. बैंक के बोर्ड में परिवर्तनों को तुरंत अधिसूचित करना।

जी. वित्तीय परिणामों का प्रकाशन।

एच. केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों / प्रैक्टिस में कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणीकरण सहित सूचीबद्ध विनियमों के अनुसार निगमित प्रशासन पर रिपोर्टिंग।

आई. सूचीबद्ध विनियमों के अंतर्गत प्रमाणन।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी सचिव निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी हैं –

ए. शेयर अंतरण/शेयरधारक शिकायत समितियों के संयोजक के रूप में शेयर अंतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करना और निवेशकों के संदर्भों का निपटान करना तथा बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष बैठकों के कार्यवृत्त प्रस्तुत करना।
बी. प्रासंगिक मुद्दों पर आरबीआई, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ समन्वय करना।
सी. शेयरधारकों की आम सभा की बैठकों (एजीएम/ईजीएम) का आयोजन।
डी. वैधानिक रजिस्टर और अभिलेखों का रखरखाव करना।
ई. पूंजी जुटाना – नियामक प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करना तथा विभिन्न मध्यस्थों के साथ समन्वय करना।
एफ. एफआईआई आदि को शेयरों के आवंटन के संदर्भ में एफडीआई सीमाओं की निगरानी करना।
जी. बैंक के शेयरों के संबंध में आरएंडटीए गतिविधियों का निरीक्षण करना।
एच. बोर्ड के अनुमोदन के लिए अपेक्षित नीतियां तैयार करना।
आई. बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और खातों के अलावा सूचना आदि के प्रकाशन और वितरण का समन्वय करना।
जे. बोर्ड द्वारा घोषणा पर लाभांश का भुगतान सुनिश्चित करना।
के. आम सभा में अपेक्षित संख्या में शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति।

9.3 <u>वरिष्ठ प्रबंधन के दायित्व</u>

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य प्रमुख अधिकारी, बोर्ड तथा बोर्ड द्वारा गठित समितियों के निर्देशों के अनुरूप बैंक के परिचालन तथा दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं।

9.4 <u>प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक ('प्रप्रका')</u>

प्रासंगिक लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुसार, बैंक में निम्नलिखित पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक होंगे,

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ii) कंपनी सचिव
iii) कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक); और
iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी

10. निवेशक संबंध:

10.1 मौजूदा और संभावित निवेशकों के साथ सही जानकारी के कुशल और समय पर संप्रेषण के माध्यम से परिचालन में पारदर्शिता द्वारा निवेशकों के साथ अच्छे और समन्वयात्मक संबंध बनाए रखना, अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

10.2 <u>शिकायत निवारण तंत्र</u>

शिकायतों के निवारण और शेयरधारकों को त्वरित और शीघ्र सेवा प्रदान करने के लिए, बैंक के प्रधान कार्यालय में एक अलग विभाग अर्थात निवेशक संबंध विभाग की स्थापना की गई है। यह विभाग शेयर अंतरण, संचरण, लाभांश और बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों से संबंधित अन्य मामलों पर शेयरधारकों के लिए संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा। यह विभाग शेयरधारकों की शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण करने का प्रयास करेगा। इस उद्देश्य के लिए, विभाग रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करेगा।

10.3 <u>कुशल शेयर अंतरण व्यवस्था</u>

बैंक का प्रयास होगा कि प्राप्त शेयर ट्रांसमिशन प्रस्तावों का निपटान उनके प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

बैंक रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट की नियुक्ति करेगा जो सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम)-2015 के खंड 40 (2) के तहत आवश्यक साप्ताहिक आधार पर शेयरधारकों/निवेशकों से प्राप्त शेयरों के अंतरण, नाम हटाने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की जांच और प्रक्रिया करेगा और मामले की रिपोर्ट बैंक को देगा।

इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा नामित एक शेयर हस्तांतरण समिति, शेयरों के अंतरण और सदस्यों के रजिस्टर के अन्य अद्यतनीकरण पर ध्यान देगी।

10.4 <u>वार्षिक/अर्धवार्षिक रिपोर्ट में निवेशक सूचना</u>

प्रबंधन वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण और अन्य जानकारी की तैयारी, ईमानदारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होगा।

वार्षिक रिपोर्ट बैंक के सभी शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक से कम से कम 21 पूर्ण दिवस पहले भेजी जाएगी। शेयरधारकों के लिए सूचना का मुख्य स्रोत वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना, अध्यक्ष का वक्तव्य, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण और लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (दोनों एकल और समेकित) शामिल हैं। वैकल्पिक रूप से, बैंक सभी शेयरधारकों को एक संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करके भेज सकता है जिसमें बैलेंस शीट तथा लाभ और हानि खाते की जानकारी निर्दिष्ट संक्षिप्त प्रारूप में दी जाएगी। बैंक अपने शेयरधारकों के साथ नियमित संवाद के महत्व को समझता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक की रणनीति स्पष्ट रूप से समझी जाए।

सहायक कंपनियों के वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक के शेयरधारकों को समेकित बैलेंस शीट में प्रस्तुत किए जाते हैं।

बैंक वैधानिक/विनियामक प्राधिकरणों/सूचीबद्धता विनियमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट के भाग के रूप में वार्षिक रिपोर्ट में निवेशक संबंधी जानकारी प्रदान करेगा।

कॉर्पोरेट प्रशासन में हरित पहल के रूप में, बैंक सभी आवधिक संचार और दस्तावेज जैसे वार्षिक आम बैठकों और अन्य आम बैठकों की सूचनाएं, उनके स्पष्टीकरण संबंधी विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, अर्धवार्षिक परिणाम और अन्य दिन-प्रतिदिन के शेयरधारक संचार बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ शेयरधारकों द्वारा पंजीकृत ईमेल पते पर भेजेगा।

10.5 <u>वार्षिक आम बैठक</u>

शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को बैलेंस शीट प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत समय-समय पर निर्धारित अन्य वैधानिक समय सीमा के भीतर आयोजित की जाएगी।

वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को बैंक के वार्षिक खातों के अलावा व्यावसायिक दृष्टिकोण और बैंक के संचालन के प्रासंगिक पहलुओं पर चर्चा, अनुमोदन और अपनाना होता है।

अंतिम लाभांश बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश पर वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाएगा।

यदि कारोबार के किसी अन्य मद पर शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक हो तो वार्षिक आम बैठक में ली जाएगी।

शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम तीन निदेशकों का चुनाव बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक या किसी अन्य आम बैठक में किया जाएगा।

वार्षिक आम बैठक बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

10.6 अंदरूनी व्यापार की रोकथाम

इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है बैंक के शेयरों में ऐसे लोगों द्वारा ट्रेडिंग करना जिनके पास बैंक के कामकाज के बारे में अघोषित मूल्य से संबंधित संवेदनशील जानकारी है और जो दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस तरह की ट्रेडिंग, जिसमें गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग शामिल है, अनैतिक है और यह विश्वास और भरोसे की स्थिति के साथ विश्वासघात के बराबर है। प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, सेबी ने संशोधित दिशा-निर्देश - सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 जारी किए हैं।

बैंक अपने कर्मियों द्वारा अंदरूनी व्यापार पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है, जो कुछ मूल्य संवेदनशील जानकारी जैसे वित्तीय परिणाम, लाभांश की घोषणा, आगे के मुद्दे आदि के बारे में जानकारी रखते हैं। इन गतिविधियों से जुड़े प्रमुख कार्मिक इस प्रासंगिक अवधि के दौरान बैंक की प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने से परहेज करेंगे और न ही वे ऐसी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को बताएंगे।

बैंक ने इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए एक नीति बनाई है। **इस नीति को बैंक की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।**

भाग – 3

11. वित्तीय प्रकटीकरण और नियंत्रण

11.1 वित्तीय परिणामों की समय पर रिपोर्ट प्रस्तुति

11.2 प्रकटीकरण मानक

11.3 सार्वभौम मान्य लेखांकन और प्रकटीकरण पॉलिसियों का अपनाया जाना

11.4 पॉलिसियाँ

11.5 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली की प्रभावकारिता

11. वित्तीय प्रकटीकरण और नियंत्रण

11.1 वित्तीय परिणामों की समय पर रिपोर्ट देना

बोर्ड की बैठक के समापन के 30 मिनट के भीतर कार्य-संचालन परिणाम शेयर बाजार को प्रस्तुत किए जाएंगे, जहां बोर्ड परिणाम को रिकॉर्ड पर रखता है। बोर्ड द्वारा वित्तीय परिणामों को रिकॉर्ड पर लेने के 48 घंटे के भीतर कार्यसंचालन परिणाम प्रमुख वित्तीय दैनिक समाचार पत्रों में तिमाही आधार पर प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी अपलोड किए जाएंगे।

बैंक के कार्यसंचालन परिणाम को सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली तिमाहियों के कार्यचालन परिणाम (लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) संबन्धित तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर प्रकाशित किए जाएंगे। अंतिम तिमाही अर्थात 31 मार्च के कार्यचालन परिणाम, लेखापरीक्षित के संबंध में, 60 दिनों के भीतर प्रकाशित किए जाएंगे।

सेबी के अनुदेशों के अनुसार वित्तीय परिणाम, शेयरधारिता पैटर्न, निदेशक/निदेशकों की रिपोर्ट, कॉरपोरेट/कंपनी अभिशासन रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण और अन्य सूचना शेयरधारकों और निवेशकों को सेबी द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर ईलेक्ट्रोंनिक सूचना फ़ाइलिंग, अर्थात शेयर बाजार और बैंक की वेबसाइट पर भी अपलोड कर, प्रसारित की जाएगी।

बैंक अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ विश्लेषकों की ब्रीफिंग और फंड प्रबंधकों और प्रबंधन टीम के बीच व्यक्तिगत चर्चा के संयोजन के माध्यम से संवाद करता है। संस्थागत निवेशकों को वरिष्ठ कार्यपालक स्तर पर रणनीति, प्रदर्शन, बोर्ड सदस्यता, और प्रबंधन की गुणवत्ता पर विचारों और सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए नियमित, सुव्यवस्थित संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निष्पक्षता और लघु शेयरधारकों के हित के लिए, संस्थागत निवेशकों हेतु नियमित ब्रीफिंग को शेयर बाजारों को जारी किया जाएगा और बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। विश्लेषकों, मध्यस्थों, संस्थागत निवेशकों के साथ बैठक के समय, बैंक के कम से कम दो प्रतिनिधि होने चाहिए। बैंक शेयर बाजार को दी जाने वाली अधिसूचना अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराएगा।

11.2 <u>पारदर्शिता और प्रकटीकरण मानक</u>

हितधारकों, जिसमें शेयरधारक, विश्लेषक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, कर्मचारी और बड़े स्तर पर समाज भी सम्मिलित है, को सुसंगत सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनेक प्रणाली और प्रक्रियाएं है। सूचना का प्राथमिक स्रोत बैंक की कॉरपोरेट वैबसाइट www.bankofindia.co.in है। निवेशकों और विश्लेषकों को दी जानी सभी कार्यालयीन समाचार, विज्ञप्तियाँ और प्रस्तुति बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाती है।

ए. बैंक समय पर और सही प्रकटीकरण करेगा, निवेशकों के संरक्षण, विवेकपूर्ण विनियमावली, ग्राहक और कर्मचारी संतुष्टि और बड़े स्तर पर जन संतुष्टि हेतु लक्षित कार्य-निष्पादन के गुणात्मक विश्लेषण और पारदर्शिता में सुसंगति का पालन करेगा। बैंक कड़ाईपूर्वक आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार, और जैसा कि शेयर बाजार के साथ निष्पादित लिस्टिंग विनियमों में अनुबद्ध किया गया है, और समय-समय पर सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों से प्राप्त दिशा-निर्देश और अनुदेशों के अनुसार, प्रकटीकरण करेगा। यथासंभव बैंक प्रकटीकरण पोस्ट करने के लिए अपनी समर्पित वेबसाइट का भी उपयोग करेगा।

बी. बैंक प्रकटीकरण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेगा;

सी. लेखा विधि पॉलिसियों और सिद्धांतों को मानक प्रथाओं के अनुरूप होना चाहिए और जहां वे नहीं है, तो महत्वपूर्ण विपथन का पूर्ण प्रकटीकरण किया जाएगा। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सभी लागू लेखा विधि मानक, जैसे कि बैंक हेतु लागू होंगे, का अनुपालन किया जाना है।

डी. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, लेखा विधि मानक में निर्धारित से भिन्न तरीके का पालन किया गया है, इस तथ्य का वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण किया जाएगा, प्रबंधन के स्पष्टीकरण के साथ कि यह ऐसा क्यों मानता है कि ऐसा वैकल्पिक तरीका, कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में अंतर्निहित कारोबार लेनदेन का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण का प्रतिनिधि है।

ई. बैंक वित्तीय स्थिति, कार्यनिष्पादन, स्वामित्व और कंपनी के गवर्नेंस समेत सभी महत्वपूर्ण मामलों का समय पर और सटीक प्रकटीकरण सुनिश्चित करेगा।

एफ. हितों का टकराव और संबन्धित पार्टी लेनदेन – निदेशक मण्डल ने "संबन्धित पार्टी लेनदेन पॉलिसी" को अंगीकृत कर लिया है और इसको संगठन में सूचित और लागू किया जा रहा है। निदेशक मण्डल ने लेखापरीक्षा समिति को आवधिक आधार पर पॉलिसी के तहत प्राप्त होने वाले मुख्य लेनदेन और प्रकटीकरण की समीक्षा करने हेतु प्राधिकृत कर दिया है। संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी कि हितों के संभावित टकराव बड़े पैमाने पर बैंक के हितों को नुकसान न पहुंचाएं।

बैंक संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के संबंध में लिस्टिंग विनियमों और लेखा मानकों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करेगा। बैंक के पास संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन करने के लिए एक रूपरेखा होगी। इसके अतिरिक्त, सभी संबंधित पक्षों के लेन-देन को, आवश्यकता अनुसार, लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। जहां लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत आवश्यक हो और लेन-देन की प्रकृति के आधार पर, वहां शेयरधारकों की भी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा बैंक से संबंधित सभी वित्तीय संबंधों या लेन-देन या शेयरधारिता, जिसमें परिवर्तनीय उपकरण भी शामिल हैं, का प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में किया जाएगा।

जी. वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण - बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित का प्रकटीकरण करेगा:

i. वित्तीय वर्ष में निदेशक मंडल और दिशा-निर्देशों के तहत अनिवार्य समितियों की आयोजित बैठकों की संख्या;
ii. निदेशक मंडल और अनिवार्य समितियों की संरचना का विवरण, जिसमें नाम, योग्यता, विशेषज्ञता का क्षेत्र, धारित निदेशक पद की स्थिति आदि शामिल हों;
iii. निदेशकों और समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई बैठकों की संख्या;
iv. स्वतंत्र निदेशक को यदि कोई पारिश्रमिक दिया गया हो, तो उसका विवरण;
v. वार्षिक रिपोर्ट में अनुपालन अधिकारी का प्रमाणीकरण शामिल होगा;
vi. लिस्टिंग विनियमों और अन्य लागू विनियमों के तहत निर्धारित अन्य विषय।

एच. अनुपालन अधिकारी – कंपनी सचिव या बैंक का कोई अन्य अधिकारी, जिसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा नामित किया जाए, लिस्टिंग अनुबंधों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी प्रदान करने के लिए “अनुपालन अधिकारी” होगा।

आई. कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रमाणीकरण – बैंक, कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, जो कि सेबी द्वारा निर्धारित की गई है, बैंक के लेखापरीक्षकों या प्रैक्टिस में कार्यरत कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और इसे निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा, जो प्रतिवर्ष बैंक के सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है। यही प्रमाण पत्र बैंक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा जाएगा।

जे. सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण – प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा बैंक के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नामित महाप्रबंधक द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत एक प्रमाण पत्र, जो बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

के. बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि वह एक सक्रिय वेबसाइट रखेगा, जिसमें कंपनी से संबंधित मूलभूत जानकारी उपलब्ध होगी, जैसे: उसके कारोबार का विवरण, वित्तीय जानकारी, शेयरधारिता संरचना, कॉरपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन, निवेशकों की शिकायतों के निवारण में सहायता करने और उन्हें संभालने के लिए नामित अधिकारियों की संपर्क जानकारी, मीडिया कंपनियों और/या उनके सहयोगियों के साथ किए गए समझौते का विवरण आदि। बैंक यह भी सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि उक्त वेबसाइट की सामग्री किसी भी समय अद्यतन रहे।

11.3 <u>सामान्यतः स्वीकार्य लेखा प्रथाओं (जीएएपी) और प्रकटीकरण नीतियों का अनुपालन</u>

बैंक सामान्यतः स्वीकार्य लेखा प्रथाओं और प्रकटीकरण नीतियों के अनुरूप रहने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त, बैंक यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि वह नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप, उच्चतम लेखा मानकों और बेहतर प्रकटीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) या अन्य लागू लेखा मानकों के अनुसार कार्य करे। बैंक वैश्विक मानकों को प्राप्त करने और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

11.4 <u>बैंक की नीतियाँ:</u>

बैंक ने विभिन्न नीतियाँ लागू की हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। बैंक अपने सभी संचालन/गतिविधियों को इन नीतियों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार संचालित करेगा। सभी नीतियाँ प्रत्येक वर्ष या बोर्ड द्वारा निर्धारित समयानुसार समीक्षा हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। यह कॉरपोरेट गवर्नेंस नीति बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और बैंक का कोई भी शेयरधारक इसके लिए अनुरोध करने पर इसका मुद्रित संस्करण प्राप्त कर सकेगा।

11.5 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता

बैंक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि की सहायता लेगा।

भाग – 4

12. कॉर्पोरेट सिटीजन

13. निष्कर्ष

12. कॉर्पोरेट सिटीजन

समुदाय विकास कार्यक्रमों में बैंक सक्रियता से भाग लेगा। बैंक ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों, विक्रेताओं, सरकार और समाज के साथ अपने सभी लेन-देन में निष्पक्ष और नैतिक कारोबारी प्रथाओं को अपनाएगा और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को निष्ठापूर्वक और विनम्रता से निभाएगा। सीएसआर नीति सामाजिक-आर्थिक/शारीरिक रूप से विकलांग और दिव्यांग लोगों, पर्यावरण संबंधी पहल और सामाजिक उत्तरदायित्व पर विशेष ध्यान देने के साथ, समाज के सतत समावेशी आर्थिक विकास पर बैंक की समझ और दृष्टिकोण को सामने रखती है। बीओआई का मानना है कि सीएसआर कोई परोपकार या दान नहीं है।

बैंक ऐसे कार्यक्रमों को चिह्नित करने और उन्हें समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनका उद्देश्य;

i. भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, और स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष सहित)
ii. आम जनता के लिए वित्तीय साक्षरता सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षा और रोजगार, विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के बीच कारोबार कौशल को बढ़ाना और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं, कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण
iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं और अनाथों के लिए गृह और छात्रावास स्थापित करना; वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय करना;
iv. पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल निकायों का रखरखाव और मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान देना शामिल है।
v. राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें ऐतिहासिक महत्त्व की इमारतों और स्थलों तथा कलाकृतियों का जीर्णोद्धार शामिल हैं; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास

vi. सशस्त्र बलों के वीरों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय;

vii. ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरा-ओलंपिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;

viii. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर निधि) या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास, राहत गतिविधियों और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान देना

ix. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ.

x. वित्तीय साक्षरता/कौशल विकास सहित सरकार प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आईबीए को की गई प्रतिपूर्ति

xi. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों में स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को प्रदान किया जाने वाला योगदान या निधि

xii. गंदी बस्ती क्षेत्र विकास का तात्पर्य है किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कानून के अनुरूप घोषित किया गया हो

xiii. आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं

xiv. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा वित्त पोषित इनक्यूबेटरों में योगदान, और सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, आईआईटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित) में योगदान, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।

xv. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किसी महामारी के संबंध में सार्वजनिक या सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक अस्पतालों या ऐसी संबंधित गतिविधियों में लगे एजेंसियों की रोकथाम/उपचार/सहायता के लिए वित्त पोषित कोई भी गतिविधि सीएसआर व्यय के लिए एक पात्र होगी।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों सहित स्थानीय प्राधिकरणों को किसी भी महामारी से निपटने के लिए किया गया योगदान भी निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत आपदा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर व्यय के लिए एक पात्र होगी।

xvi. बोर्ड की सीएसआर समिति द्वारा अनुमत कोई अन्य गतिविधि।

13. निष्कर्ष:

प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में अपने अस्तित्व को बनाये रखने और सतत विकास के स्तर को प्राप्त करने के लिए, अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और अधिमानतः स्व-नियमन और व्यावसायिक आचरण के नैतिक कोड को स्वैच्छिक रूप से अपनाकर एवं यदि आवश्यक हो तो सरकार या आरबीआई, सेबी आदि जैसे नियामकों द्वारा तैयार प्रासंगिक नियामक कानूनों और नियमों के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए।

निगम प्रशासन नीति को हितधारकों के प्रति निदेशक मंडल की ओर से अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में काम करना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया अपने व्यावसायिक लेन-देन में उच्चतम स्तर का निगम प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अनुलग्नक – 1

बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल समिति - बैंकों के लिए निगम प्रशासन सिद्धांत

अंतरराष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक (बीआईएस) द्वारा निर्धारित बेसल मानदंडों के तहत निम्नलिखित उचित निगम प्रशासन सिद्धांतों को भी बैंकअपनाता है।

सिद्धांत 1: <u>बोर्ड की समग्र जिम्मेदारियाँ</u>

बोर्ड के पास बैंक के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसमें बैंक के रणनीतिक उद्देश्यों, शासन ढांचे और निगमित संस्कृति के कार्यान्वयन का प्रबंधन को अनुमोदित और उन पर निगरानी करना शामिल है। बोर्ड वरिष्ठ प्रबंधन की निगरानी प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

सिद्धांत 2: <u>बोर्ड की योग्यता और संरचना</u>

सरकार द्वारा बोर्ड सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने पदों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, प्रशिक्षण के माध्यम से भी, योग्य होना चाहिए और रहना चाहिए। उन्हें अपनी निगरानी और कॉर्पोरेट शासन की भूमिका को समझना चाहिए और बैंक के मामलों के बारे में सही, वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए।

सिद्धांत 3: <u>बोर्ड की अपनी संरचना और प्रथाएँ</u>

बोर्ड को अपने कार्य के लिए उपयुक्त शासन संरचनाओं और प्रथाओं को परिभाषित करना चाहिए और ऐसी प्रथाओं का पालन करने और निरंतर प्रभावशीलता के लिए समय-समय पर समीक्षा करने के लिए साधनों को लागू करना चाहिए।

सिद्धांत 4: <u>वरिष्ठ प्रबंधन</u>

बोर्ड के निर्देशन और निगरानी के तहत, वरिष्ठ प्रबंधन को बैंक की गतिविधियों को इस प्रकार लागू और प्रबंधित करना चाहिए कि यह व्यापार रणनीति, जोखिम, पारिश्रमिक और अन्य नीतियों के अनुरूप हो, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

सिद्धांत 5: <u>समूह संरचनाओं का प्रशासन</u>

एक समूह संरचना में, मूल कंपनी का बोर्ड समूह के लिए कुल जिम्मेदारी रखता है और समूह और इसके संस्थाओं की संरचना, कारोबार और जोखिमों के लिए उपयुक्त एक स्पष्ट शासन ढांचे की स्थापना और संचालन सुनिश्चित करता है। बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को बैंक समूह की संगठनात्मक संरचना और इसके द्वारा उत्पन्न जोखिमों को जानना और समझना चाहिए।

सिद्धांत 6: <u>जोखिम प्रबंधन कार्य</u>

बैंकों के समक्ष एक प्रभावी स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणाली होनी चाहिए, जो एक प्रमुख जोखिम अधिकारी (सीआरओ) या समकक्ष के निर्देशन में हो, जो पर्याप्त प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, संसाधन और बोर्ड तक पहुँच सकें।

सिद्धांत 7: जोखिम की पहचान, निगरानी और नियंत्रण

जोखिमों की पहचान, निगरानी और नियंत्रण बैंक-व्यापी और व्यक्तिगत इकाई के आधार पर किया जाना चाहिए। बैंक के जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण बुनियादी ढांचे की परिष्कृतता बैंक के जोखिम प्रोफाइल, बाहरी जोखिम परिदृश्य और उद्योग के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए।

सिद्धांत 8: जोखिम संप्रेषण/संचार

प्रभावी जोखिम प्रशासन ढांचे के लिए बैंक के भीतर जोखिम के बारे में मजबूत संचार की आवश्यकता होती है, संगठन भर में तथा बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को रिपोर्टिंग के माध्यम से।

सिद्धांत 9: अनुपालन

बैंक के निदेशक मंडल को बैंक के अनुपालन जोखिम के प्रबंधन की देखरेख करनी होती है। बोर्ड को अनुपालन कार्य स्थापित करना चाहिए और अनुपालन जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग तथा सलाह देने के लिए बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं को मंजूरी देनी चाहिए।

सिद्धांत 10: आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को बोर्ड को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना चाहिए तथा प्रभावी प्रशासन प्रक्रिया तथा बैंक की दीर्घकालिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देने में बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

सिद्धांत 11: पारिश्रमिक

भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैंक के पारिश्रमिक ढांचे को सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन का समर्थन करना चाहिए।

सिद्धांत 12: प्रकटीकरण और पारदर्शिता

बैंक का प्रशासन उसके शेयरधारकों, जमाकर्ताओं, अन्य प्रासंगिक हितधारकों और बाजार प्रतिभागियों के लिए पर्याप्त रूप से पारदर्शी होना चाहिए।

अनुबंध -2

**आरबीआई द्वारा जारी हालिया दिशानिर्देशों आरबीआई /2021 की अनुपालन स्थिति-
22/24डीओआर.जीओवी.आरईसी.8/29.67.001/2021-22 26 अप्रैल, 2021**

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>नए दिशनिर्देश</th><th>यथा तारीख में स्थिति</th><th>अनुपालन और/या गैर-अनुपालन के कारण और औचित्य के रूप में स्थिति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में, ये दिशानिर्देश इस सीमा तक लागू होंगे कि ये शर्तें इन बैंकों पर लागू विशिष्ट क़ानूनों के प्रावधानों या क़ानूनों के तहत जारी निर्देशों के साथ असंगत न हों। इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अन्य प्रासंगिक शासी क़ानूनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और यह लागू होगा। इस परिपत्र के जारी होने से पहले रिज़र्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंसिंग अधिसूचनाओं, विनियमों, शर्तों, निर्देशों, दिशा-निर्देशों, निर्देशों आदि में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद।</td><td>17.03.2025</td><td>i. 10 लाख करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए निदेशकों की स्वीकृत संख्या 16 है, जिनमें से एमडी और सीईओ सहित पांच पूर्णकालिक निदेशक होते हैं।

ii. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 73.38% होने के कारण, हमारे पास केवल दो शेयरधारक निदेशक हो सकते हैं (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार)

iii. आरबीआई निदेशक की नियुक्ति केवल प्रबंधन समिति, एसीबी, डीपीसी, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए है। किसी अन्य समिति हेतु नहीं है (आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीओडी.सं. 7081/08.21.006/2010-11 दिनांक 29.10.2010)

iv. सरकार द्वारा नामित निदेशक को केवल एसीबी, एनआरसी, एमएलवीएफ, एचआर, एचवीएनपीए, ग्राहक सेवा और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए अनुमति दी गई है (डीएफएस अधिसूचना एफ.सं. 16/18/2015-बीओ.आई/एफटीएस-72700 दिनांक 23.02.2015)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बोर्ड का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।</td><td>अनुपालन किया गया</td><td>धारा 9(3)(एच) के अनुसार बोर्ड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 21.02.2024 को की जाती है, जो बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम बोर्ड की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई या तीन निदेशक, जो भी अधिक हो, होगा।</td><td>अनुपालन किया गया</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।</td><td>अनुपालन किया गया</td><td>जैसा कि ऊपर क्रम संख्या 1(ii) में उल्लेख किया गया है, हमारे पास दो शेयरधारक निदेशक हैं। 11.02.2025 तक निदेशकों की संख्या की स्थिति इस प्रकार है:
<table>
<tr><td>निदेशक</td><td>संख्या</td><td>यू/एस अनुभाग9(3)</td></tr>
<tr><td>पूर्ण कालिक</td><td>5</td><td>(ए)</td></tr>
<tr><td>सरकार नामांकित</td><td>1</td><td>(बी)</td></tr>
<tr><td>आरबीआई नामांकित व्यक्ति</td><td>1</td><td>(सी)</td></tr>
<tr><td>शेयरहोल्डर</td><td>2</td><td>(आई)</td></tr>
<tr><td>अंशकालिक गैर-आधिकारिक</td><td></td><td>(एच)</td></tr>
<tr><td>रिक्त पद</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कामगार कर्मचारी</td><td>1</td><td>(ई)</td></tr>
<tr><td>अधिकारी कर्मचारी</td><td>1</td><td>(एफ)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>नए दिशनिर्देश</th><th>यथा तारीख में स्थिति</th><th>अनुपालन और/या गैर-अनुपालन के कारण और औचित्य</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td><table>
<tr><td>अंशकालिक गैर-आधिकारिक</td><td>1</td><td>(जी)</td></tr>
<tr><td>अंशकालिक गैर-आधिकारिक</td><td>2</td><td>(एच)</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">एनईडी के लिए कुल पांच रिक्तियां</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>एसीबी का गठन केवल गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडीएस) के साथ किया जाएगा</td><td>अनुपालन किया।</td><td>एसीबी की वर्तमान संरचना में आरबीआई नामित निदेशक, सरकारी नामित निदेशक, शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं। इस प्रकार, एसीबी में कोई पूर्णकालिक निदेशक सदस्य के रूप में नहीं है। हालाँकि, कार्यपालक निदेशक आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लेते हैं।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>बोर्ड का अध्यक्ष एसीबी का सदस्य नहीं होगा |</td><td>अनुपालन किया गया</td><td>वर्तमान में, बोर्ड की अध्यक्षता गैर- कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो एसीबी का सदस्य नहीं है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>एसीबी की बैठक तीन सदस्यों की उपस्थिति में होगी।</td><td>अनुपालन किया गया</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>एसीबी की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे |</td><td>अनुपालन किया।</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>एसीबी की तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी।</td><td>अनुपालन किया गया</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>एसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी, जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा।</td><td>अनुपालन किया गया</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>एसीबी का अध्यक्ष बोर्ड की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा, जिसे ऋण जोखिम को मंजूरी देने का अधिदेश प्राप्त हो।</td><td>अनुपालन किया गया</td><td>एसीबी की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है, जो किसी अन्य ऋण स्वीकृति समिति में नहीं होता है।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>सभी सदस्यों में सभी वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उनसे जुड़े नोट्स/रिपोर्टों को समझने की क्षमता होनी चाहिए और कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होनी चाहिए [उदाहरण के लिए, लेखांकन मानकों और प्रथाओं के अनुप्रयोग में अनुभव, इसके आसपास आंतरिक नियंत्रण सहित।</td><td>अनुपालन किया गया</td><td>वर्तमान में हमारे पास धारा 9(3)(जी) (चार्टर्ड अकाउंटेंट) के अंतर्गत एनईडी का पद रिक्त है। हालांकि, निदेशकों के अनुभव और योग्यता के आधार पर, दिए गए निर्देश का अनुपालन माना जाता है।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड(आरएमसीबी)</td></tr>
<tr><td>13</td><td>बोर्ड एनईडी के बहुमत के साथ एक आरएमसीबी का गठन करेगा</td><td>अनुपालन किया गया</td><td>आरएमसीबी की संरचना में दो पूर्णकालिक निदेशक और तीन गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। इस प्रकार, अधिकांश एनईडी की उपस्थिति का अनुपालन किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>आरएमसीबी की बैठक तीन सदस्यों की उपस्थिति से होगी।</td><td>अनुपालन किया गया</td><td></td></tr>
</table>

क्र सं	नई दिशानिर्देश	यथा तारीख में स्थिति	अनुपालन और/या गैर-अनुपालन के कारण और औचित्य
15	आरएमसीबी की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता / योग्यता होगी।	अनुपालन संभव नहीं है।	जैसा कि पैरा 13 में उल्लिखित है, बहुमत में गैर-कार्यपालक निदेशकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि, हम प्रस्तुत करते हैं कि आरएमसीबी के वर्तमान सदस्य अपने पेशेवर अनुभव और शीर्ष स्तर पर धारित पदों के आधार पर जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता रखते हैं। इसलिए, हम जोखिम प्रबंधन में विशिष्ट योग्यता रखने वाले सदस्यों पर जोर देने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हालांकि, जब भी डीएफएस द्वारा जोखिम प्रबंधन में विशिष्ट योग्यता वाले ऐसे निदेशक की नियुक्ति की जाएगी तो हम इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में सक्षम होंगे।
16	आरएमसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति के अध्यक्ष नहीं होंगे।	अनुपालित	01.10.2022 से आरएमसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जा रही है।
17	बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो।	अनुपालित	वर्तमान में, बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य नहीं है|
18	आरएमसीबी की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक होगी	अनुपालित	
	नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)		
19	बोर्ड केवल एनईडी से बना एनआरसी का गठन करेगा।	अनुपालित	
20	एनआरसी तीन सदस्यों के कोरम के साथ बैठक करेगा।	अनुपालित	
21	एनआरसी की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से एक आरएमसीबी का सदस्य होगा।	अनुपालित	
22	एनआरसी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करेंगे।	अनुपालित	
23	बोर्ड का अध्यक्ष एनआरसी की अध्यक्षता नहीं करेगा।	अनुपालित	
24	एनआरसी की बैठक आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जा सकती है।	अनुपालित	
	एनईडी की आयु और कार्यकाल		
25	बोर्ड के अध्यक्ष सहित एनईडी के लिए ऊपरी आयु सीमा 75 वर्ष होगी और 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति इन पदों पर बने नहीं रह सकते।	लागू नहीं	वित्तीय सेवाएं विभाग के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एनईडी 67 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है।
26	बैंक के बोर्ड में एक एनईडी की कुल अवधि, लगातार या अन्यथा आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी।	अनुपालित	वर्तमान डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी निदेशक अधिकतम पांच वर्षों के लिए बोर्ड में होगा, शुरू में 3 साल के लिए, जिसे डीएफएस द्वारा अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
27	बैंक के बोर्ड में आठ साल पूरे करने के बाद व्यक्ति को तीन साल के न्यूनतम अंतराल के बाद ही पुनः नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।	लागू नहीं पर अनुपालित	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए वित्तीय सेवा विभाग के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एनईडी प्रारंभ में नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के लिए कार्य कर सकता है जिसे वित्तीय सेवा विभाग के विवेकाधिकार पर बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद वह हमारे बैंक के निदेशक मंडल में नहीं रह पाएगा।

क्र सं	नई दिशानिर्देश	यथा तारीख में स्थिति	अनुपालन और/या गैर-अनुपालन के कारण और औचित्य
28	यह उसे आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन किसी अन्य बैंक में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से नहीं रोकेगा/रोकेगी।	लागू नहीं	
	एनईडी का पारिश्रमिक		
29	वर्तमान सांविधिक मानदंडों/प्रथाओं के अनुसार बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने से संबंधित बैठक शुल्क और खर्चों के अलावा, बैंक एनईडी को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए एक निश्चित पारिश्रमिक के रूप में एक व्यक्तिगत निदेशक की जिम्मेदारियों और समय पर मांगों के अनुरूप प्रदान कर सकता है और जो योग्य सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। हालांकि, बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा एनईडी के लिए ऐसा निश्चित पारिश्रमिक प्रति वर्ष 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।	लागू नहीं	डीएफएस द्वारा निर्णय लिया गया
	एमडी एवं सीईओ और डब्ल्यूटीडी का कार्यकाल		
30	समय-समय पर अपेक्षित सांविधिक अनुमोदनों के अधीन, एमडी एवं सीईओ या डब्ल्यूटीडी का पद एक ही पदाधिकारी द्वारा 15 वर्षों से अधिक समय तक नहीं धारित किया जा सकता है।	लागू नहीं	डीएफएस द्वारा निर्णय लिया गया
31	इसके बाद, व्यक्ति अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन, तीन साल के न्यूनतम अंतराल के बाद, यदि आवश्यक और वांछनीय माना जाता है, तो उसी बैंक में एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीडी के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस तीन साल की विश्राम अवधि के दौरान, व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी क्षमता में बैंक या उसकी समूह संस्थाओं के साथ नियुक्त या संबद्ध नहीं किया जाएगा।	लागू नहीं	डीएफएस द्वारा निर्णय लिया गया
32	यह स्पष्ट किया जाता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में एमडी एवं सीईओ और डब्ल्यूटीडी के लिए ऊपरी आयु सीमा पर वर्तमान निर्देश जारी रहेंगे और कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु से अधिक एमडी एवं सीईओ या डब्ल्यूटीडी के रूप में बने नहीं रह सकता है। 70 वर्ष की समग्र सीमा के भीतर, अपनी आंतरिक नीति के भाग के रूप में, निजी बैंक के बोर्ड एमडी एवं सीईओ सहित	लागू नहीं	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, डब्ल्यूटीडी की अवधि का निर्धारण डीएफएस द्वारा किया जाता है अर्थात् 60 वर्ष की आयु (अधिवर्षिता की तारीख) तक।

क्र सं	नई दिशानिर्देश	यथा तारीख में स्थिति	अनुपालन और/या गैर-अनुपालन के कारण और औचित्य
	डब्ल्यूटीडी के लिए कम सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।		
33	एमडी एवं सीईओ या डब्ल्यूटीडी, जो एक संप्रवर्तक / प्रमुख शेयरधारक भी हैं, इन पदों को 12 साल से अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, रिज़र्व बैंक के विवेकाधिकार पर ऐसे एमडी एवं सीईओ या डब्ल्यूटीडी को 15 साल तक बने रखने की अनुमति दी जा सकती है। 12/15 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे एमडी एवं सीईओ या डब्ल्यूटीडी की पुनर्नियुक्ति के मामले की जांच करते समय, बैंक में संप्रवर्तकों की शेयरधारिता को कमजोर करने के लिए प्रगति और प्रगति के स्तर को भी रिज़र्व बैंक द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।	लागू नहीं	डीएफएस द्वारा निर्णय लिया गया
	संक्रमण व्यवस्था		
34	बैंकों को 01 अक्टूबर, 2021 तक इन अनुदेशों का अनुपालन करने की अनुमति है। विशेष रूप से: (i) बोर्ड के अध्यक्ष जो इस परिपत्र के जारी होने की तारीख को स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, उन्हें अध्यक्ष के रूप में वर्तमान कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जाएगी जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा पहले ही अनुमोदित है। (ii) जिन बैंकों के एमडी एवं सीईओ या डब्ल्यूटीडी ने इन निर्देशों के प्रभावी होने की तिथि तक एमडी एवं सीईओ या डब्ल्यूटीडी के रूप में 12/15 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा पहले से अनुमोदित अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।	अनुपालित अनुपालित	जैसा कि क्रम संख्या 2 पर बताया गया है| डीएफएस के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार।

अनुलग्नक-3-सेबी(एलओडीआर) विनियमों का अनुपालन

क्रमांक संख्या	सेबी (एलओडीआर) विनियमन	प्रावधान	अनुपालन
1	17 (1) (ए) और (बी) निदेशक मंडल - संरचना - स्वतंत्र महिला निदेशक, अध्यक्ष	सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार होगी 1-निदेशक मंडल में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संयोजन होगा जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक होगी तथा निदेशक मंडल में कम से कम 50% गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे। बशर्ते कि शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में 1 अप्रैल, 2019 तक कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होगी।	वर्तमान में हमारे पास 6 गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, जिनमें से एक-एक को आरबीआई और भारत सरकार द्वारा नामित हैं । इसलिए 5 पूर्णकालिक निदेशकों की वर्तमान स्वीकृत संख्या के साथ, इस दिशानिर्देश का अनुपालन किया गया है।
		2-जहां निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर-कार्यपालक निदेशक है वहां निदेशक मंडल का कम से कम एक-तिहाई हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से बना होगा और जहां सूचीबद्ध इकाई में नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है वहां निदेशक मंडल का कम से कम आधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से बना होगा।	अनुपालन किया गया। वर्तमान में बैंक में एक स्वतंत्र महिला निदेशक है
		बशर्ते कि जहाँ नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई का प्रमोटर हो, प्रमोटर से संबंधित कोई व्यक्ति हो या निदेशक मंडल के स्तर पर या निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे के प्रबंधन पदों पर आसीन हो तो सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल का कम से कम आधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से मिलकर बना होगा। स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "किसी प्रमोटर से संबंधित" अभिव्यक्ति का निम्नलिखित अर्थ होगा. यदि प्रमोटर सूचीबद्ध इकाई है तो स्वतंत्र निदेशकों उसके कर्मचारियों या उसके नामितियों के अलावा उसके निदेशक उससे संबंधित माने जाएंगे।	अनुपालन किया गया। वर्तमान में, बैंक के पास अध्यक्ष के रूप में एक गैर-कार्यपालक निदेशक है और स्वतंत्र निदेशकों की संख्या चार है यानी 2 शेयरधारक निदेशक और 2 गैर-कार्यपालक निदेशक धारा 9(3)(एच) के तहत नियुक्त किए गए हैं जबकि बोर्ड की वर्तमान क्षमता 11 है।
2	18 (1) (ए) (बी) (सी) लेखा परीक्षा समिति - गठन एवं संरचना	प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को संदर्भगत विषय के अनुसार एक योग्य और स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति का गठन करना होगा जो निम्नलिखित के अधीन होगी: लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक सदस्य होंगे	अनुपालन किया गया। वर्तमान में, एसीबी में चार सदस्य हैं - दो स्वतंत्र निदेशक, एक सरकारी नामित निदेशक और एक आरबीआई नामित निदेशक
		लेखा परीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे और बकाया एसआर इक्विटी शेयर वाली सूचीबद्ध इकाई के मामले में, लेखापरीक्षा समिति में केवल स्वतंत्र निदेशक ही शामिल होंगे।	वर्तमान में दो स्वतंत्र निदेशक हैं जो कुल संख्या का आधा हिस्सा हैं। अन्य स्वतंत्र (शेयरधारक) निदेशक एम.कॉम और अन्य समितियों के सदस्य

		लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर होंगे और कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता होगी	हैं। डीएफएस दिशा-निर्देश संख्या 16/11/2015-बीओ.1 दिनांक 17.06.2016 के अनुसार, कोई भी निदेशक जो प्रबंधन समिति/ऋण अनुमोदन समिति में है वह किसी भी क्षमता में लेखा परीक्षा समिति में नहीं होगा। आरबीआई परिपत्र दिनांक 26.04.2021 के अनुसार, गैर- कार्यपालक अध्यक्ष, जो एक गैर-आधिकारिक निदेशक भी है, एसीबी का सदस्य होने के योग्य नहीं है क्योंकि वह बोर्ड का अध्यक्ष है। अनुपालन किया गया।
3	18(1)(डी) लेखा परीक्षा समिति – अध्यक्ष	लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा और वह शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित रहेगा।	अनुपालन किया गया। एसीबी का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक है
4	19 (1) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति - गठन एवं संरचना	निदेशक मंडल निम्नानुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा: ए) समिति में कम से कम तीन निदेशक शामिल होंगे बी) समिति के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक होंगे; सी) कम से कम पचास प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे और बकाया एसआर इक्विटी शेयर वाली सूचीबद्ध इकाई के मामले में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।	अनुपालन किया गया। एनआरसी में पांच सदस्य हैं - चार स्वतंत्र निदेशक और एक सरकारी नामित निदेशक
5	21. जोखिम प्रबंधन समिति	जोखिम प्रबंधन समिति के अधिकांश सदस्य निदेशक मंडल के सदस्य होंगे। जोखिम प्रबंधन समिति का अध्यक्ष निदेशक मंडल का सदस्य होगा तथा सूचीबद्ध इकाई के वरिष्ठ अधिकारी समिति के सदस्य हो सकते हैं ।	अनुपालन किया गया।

अनुलग्नक - 4

समीक्षा का कैलेंडर

बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों को प्रस्तुत करने के लिए

क्र. सं	विभाग	विषय	मद का नाम	आवृत्ति	समिति	मैनडेट (अधिदेश)	परिपत्र/ पत्र संदर्भ
1.	वसूली	अनुपालन	i. एक बारगी समझौता (ओटीएस) के तहत प्रदर्शन की रिपोर्टिंग ii. एआरसी को वित्तीय हानियुक्त आस्तियों के असाइनमेंट की प्रगति रिपोर्ट iii. विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए (PWO) खातों की स्थिति – वैश्विक iv. एनपीए में सरफेसी कार्रवाइयों की स्थिति v. 5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के खातों के संबंध में स्लिपेज, वसूली/सुधार (उन्नयन) के बारे में जानकारी vi. एनपीए प्रबंधन और रिपोर्ट किए गए एनपीए और प्रावधानिकरण इंटेग्रिटी (वैश्विक) vii. उच्च एनपीए वाले शीर्ष 5 क्षेत्रों का विश्लेषण और उन्हें कम करने की रणनीति viii. संवेदनशील क्षेत्रों यानी पूंजी बाजार और रियल एस्टेट में बैंक का जोखिम - वहां एनपीए की स्थिति	त्रैमासिक	उच्च मूल्य एनपीए के लिए समिति	आरबीआई(सिर्फ ii के लिए)	08.06.2023
2.	कॉर्पोरेट क्रेडिट	अनुपालन	उधारकर्ता कंपनियों में उनकी प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक इक्विटी शेयर होल्डिंग्स के संबंध में जानकारी	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	10-नवंबर-10
3.	ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग	ग्राहक संरक्षण	ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र की व्यापक समीक्षा	त्रैमासिक	बोर्ड	आरबीआई	14.05.2015
4.	अनुपालन	अनुपालन	विभिन्न कानूनों और विधियों के तहत बैंक के खिलाफ लगाए गए दंड/दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गई कार्रवाई	वार्षिक	एसीबी	आरबीआई	10-नवंबर-10
5.	अनुपालन	अनुपालन	आरबीआई/अन्य विनियामकों द्वारा जारी परिपत्र/दिशानिर्देश और उनके अनुपालन रिपोर्ट की स्थिति	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	10-नवंबर-10
6.	अनुपालन	अनुपालन	विदेशी शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में विनियामकों की विनियामक आवश्यकता का अनुपालन और विदेशी शाखाओं में अनुपालन जोखिम	त्रैमासिक	एसीबी	कोई अधिदेश नहीं	
7.	अनुपालन	अनुपालन	एसपीएआरसी के अंतर्गत आईआरएआर और आरएमपी की प्रगति - पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु निरीक्षण	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	ईमेल दिनांक 30.09.22
8.	अनुपालन	अनुपालन	बैंक में अनुपालन जोखिम की स्थिति पर रिपोर्ट	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	23.02.2024
9.	अनुपालन	अनुपालन	विदेशी विनियामक और अन्य सांविधिक निकायों द्वारा जारी	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई एसएसएम	2020-21

			परिपत्रों/अधिसूचनाओं की अनुपालन स्थिति				
10.	अनुपालन	अनुपालन	जोखिम रेटिंग और जोखिम शमन योजना के साथ आरबीआई द्वारा प्राप्त पर्यवेक्षी पत्र	वार्षिक	बोर्ड	आरबीआई	13.10.2023
11.	अनुपालन	अनुपालन	जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) - निरीक्षण और जोखिम आकलन रिपोर्ट (आईआरएआर)	वार्षिक	बोर्ड	आरबीआई	27.09.2024
12.	अनुपालन	अनुपालन	वार्षिक रिपोर्ट / अनुपालन कार्य की समीक्षा	वार्षिक	बोर्ड	आरबीआई	23.02.2024
13.	ऋण निगरानी	अनुपालन	i. सीपीए-2 और सीपीए-3 की लंबित रिपोर्ट की स्थिति ii. वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम खातों में तुरंत एनपीए खाते की स्थिति का विश्लेषण iii. 50 लाख रुपये और उससे अधिक (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) के अग्रिमों से संबंधित विवेकाधीन शक्तियों में उल्लंघन की रिपोर्टिंग	त्रैमासिक	एसीबी	पॉलिसी	

क्र. सं	विभाग	विषय	मद का नाम	आवृत्ति	समिति	मैनडेट (अधिदेश)	परिपत्र/ पत्र संदर्भ
			iv. 50 लाख रुपये और उससे अधिक के लिए एल/सी के न्यागमन/बैंक गारंटी लागू करने की स्थिति पर रिपोर्ट और 30 दिनों से अधिक के लिए बकाया v. अतिदेय समीक्षा की लंबित स्थिति की रिपोर्टिंग (1 करोड़ रुपये और उससे अधिक, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) vi. 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के मानक पुनर्संरचित खातों की रिपोर्टिंग, जिसमें 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) की क्रेडिट सीमा वाले खाते शामिल हैं vii. मैन्युअल हस्तक्षेप की रिपोर्टिंग (आईआरएसी प्रक्रिया के स्वचालन में) viii. बंद करने के लिए लंबित स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट की स्थिति ix. फोरेंसिक ऑडिट / आंतरिक जांच रिपोर्ट को बंद करने पर रिपोर्ट				दिनांक 24.01.2024 को बोर्ड द्वारा अंतिम अनुमोदित ऋण निगरानी नीति
14	ऋण निगरानी	अनुपालन	i.प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) पर रिपोर्टिंग ii. रेड फ्लैग वाले खातों पर रिपोर्ट	त्रैमासिक	आरकॉम	आरबीआई	15.07.2024
15	डिजिटल बैंकिंग	व्यापार रणनीति	क्रेडिट कार्ड परिचालन के निष्पादन की समीक्षा	अर्धवार्षिक	एसीबी	आरबीआई	07.03.2024
16	घरेलू अनुषंगी प्रबंधन प्रभाग (डीएसएमडी)	अनुपालन	संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की समीक्षा	वार्षिक	एसीबी	सेबी	एलओडीआर
17	डीएसएमडी	अनुपालन	अर्धवार्षिक रिटर्न की सेबी समीक्षा के साथ पंजीकृत डिबेंचर ट्रस्टी	अर्धवार्षिक	बोर्ड	सेबी	एलओडीआर
18	डीएसएमडी	अनुपालन	हमारी घरेलू सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त प्रस्तुत करना - सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण	त्रैमासिक	बोर्ड	सेबी	एलओडीआर

			आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के खंड 24 के अनुसार अनुपालन				
19	वित्तीय समावेशन	वित्तीय समावेशन	a.कमजोर वर्गों और सभी प्रधान मंत्री योजना (पीएमजेडीवाई के तहत) से जमा जुटाने की समीक्षा b. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों की रिपोर्टिंग	त्रैमासिक	बोर्ड	आरबीआई	14.05.2015
20	वित्त	वित्तीय रिपोर्ट और उनकी ईमानदारी	सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और प्रदर्शन की समीक्षा - घरेलू	वार्षिक	एसीबी	आरबीआई	27.04.2021
21	धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन	जोखिम	की गई धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और समीक्षा	अर्धवार्षिक	एसीबी	आरबीआई	15.07.2024
22	सामान्य परिचालन	अनुपालन	i.उचंत खाते (डेबिट) (अग्रिम प्रकृति के अलावा) और विविध जमा में बकाया प्रविष्टियां ii.समाशोधन अंतर समायोजन खाता (सीडीएए) बकाया प्रविष्टियों की स्थिति iii. अंतर बैंक खातों में बकाया प्रविष्टियां iv. अनादृत चेक पर डेटा v. अंतर-शाखा लेनदेन का समाधान (घरेलू)	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	02.07.2012
23	निरीक्षण और लेखा परीक्षा	अनुपालन	आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के प्रमुख अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा पर कवरेज और आवृत्ति शामिल हैं।	वार्षिक	एसीबी	आरबीआई	10-नवंबर-10

क्र. सं	विभाग	विषय	मद का नाम	आवृत्ति	समिति	मैनडेट (अधिदेश)	परिपत्र/ पत्र संदर्भ
24	लेखा परीक्षा एवं अनुवर्ती कार्यवाही विभाग	अनुपालन	आंतरिक/बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा पता लगाए गए राजस्व हानि पर रिपोर्ट की समीक्षा और उसकी वसूली की स्थिति - राजस्व हानि को रोकने के लिए कम शुल्क के कारण एवं उठाए गए कदम	वार्षिक	एसीबी	आरबीआई	10.11.2010
25	लेखा परीक्षा एवं अनुवर्ती कार्यवाही विभाग	अनुपालन	लेखापरीक्षा योजना की समीक्षा और उसकी उपलब्धि की स्थिति	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	10.11.2010
26	लेखा परीक्षा एवं अनुवर्ती कार्रवाई विभाग	अनुपालन	शाखाओं में केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देश के संबंध में समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	10.11.2010
27	लेखा परीक्षा एवं अनुवर्ती कार्रवाई विभाग	अनुपालन	i. मुद्रा तिजोरियों की आरबीआईए ऑडिट में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा के साथ अनुपालन की समीक्षा ii. सेवा शाखाओं की आरबीआईए ऑडिट में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा और उनका अनुपालन iii. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा और ट्रेजरी और डेरिवेटिव्स की समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अनुपालन iv. आरबीआईए और समवर्ती लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा और उसके अनुपालन की समीक्षा	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	10.11.2010

क्र . सं	विभाग	विषय	मद का नाम	आवृत्ति	समिति	मैनडेट (अधिदेश)	परिपत्र/ पत्र संदर्भ
			v. निम्न रेटिंग वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट - कमियों को दूर करने में प्रगति- अत्यंत उच्च रेटिंग वाली शाखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अनियमितताएं जोखिम/अत्यधिक जोखिम - ' आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा और उसके अनुपालन की समीक्षा				
28	लेखा परीक्षा एवं अनुवर्ती कार्रवाई विभाग	जोखिम	i) विदेशी शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा/प्रबंधन लेखा परीक्षा - लेखा परीक्षा निष्कर्षों का सार और उसका अनुपालन। ii)विदेशी शाखाओं की समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट - लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार और उसका अनुपालन	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	10.11.2010
29	लेखा परीक्षा एवं अनुवर्ती कार्रवाई विभाग	अनुपालन	वित्तीय वर्ष___ के लिए दीर्घकालिक फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का अनुपालन लेखा परीक्षक का अवलोकन	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	10.11.2010
30	लेखा परीक्षा एवं अनुवर्ती कार्यवाही विभाग	अनुपालन	बाह्य समवर्ती लेखा परीक्षक और आंतरिक आईएस लेखा परीक्षक द्वारा डेटा सेंटर की आईएस ऑडिट	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	10.11.2010
31	लेखा परीक्षा एवं अनुवर्ती कार्यवाही विभाग	जोखिम	i. वित्तीय वर्षके दौरान समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए एफसीए की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए अनुमोदन की रिपोर्टिंग	वार्षिक	एसीबी	आरबीआई	18-09-19

क्र . सं	विभाग	विषय	मद के नाम	आवृति	समिति	मैनडेट (अधिदेश)	परिपत्र/ पत्र संदर्भ
			ii. समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता और सीए का प्रदर्शन				
32	लेखा परीक्षा एवं अनुवर्ती कार्रवाई	अनुपालन	विदेशी में सौदा करने के लिए अधिकृत शाखाओं के समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा की गई फेमा ऑडिट के महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्ष	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	10-11-10
33	लेखा परीक्षा एवं अनुवर्ती कार्रवाई	अनुपालन	नियंत्रण कार्यालयों/मुख्यालय में प्रबंधन लेखापरीक्षा के अनुपालन के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	10-11-10
34	सूचना सुरक्षा सेल	अनुपालन	इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड में फ़िशिंग और धोखाधड़ी के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी वाले लेन-देन की अर्धवार्षिक समीक्षा	अर्ध वार्षिक	एसीबी	आरबीआई	11.11.2010
35	सूचना सुरक्षा सेल	अनुपालन	तिमाही के दौरान आयोजित डीआर कटओवर की त्रैमासिक रिपोर्टिंग	त्रैमासिक	आईटी स्ट्रेटजी समिति	आरबीआई	07.11.2023
36	सूचना सुरक्षा सेल	अनुपालन	तिमाही के दौरान किए गए आंतरिक और बाह्य अनुप्रयोगों के सुभेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) की त्रैमासिक रिपोर्टिंग	त्रैमासिक	आईटी स्ट्रेटजी समिति	आरबीआई	07.11.2023

क्र. सं.	विभाग	विषय	मद का नाम	आवृत्ति	समिति	मैनडेट (अधिदेश)	परिपत्र/ पत्र संदर्भ
37	सूचना सुरक्षा प्रकोष्ठ	अनुपालन	सूचना सुरक्षा प्रकोष्ठ की त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट	त्रैमासिक	आईटी रणनीति समिति	आरबीआई	23.05.2017
38	अंतरराष्ट्रीय	अनुपालन	सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और प्रदर्शन की समीक्षा – विदेशी परिचालन	वार्षिक	एसीबी	आरबीआई	
39	अंतराष्ट्रीय	अनुपालन	विदेशी शाखाओं के ट्रेजरी संचालन की छमाही समीक्षा	अर्ध वार्षिक	बोर्ड	आरबीआई	12.09.2023
40	निवेशक संबंध प्रकोष्ठ	अनुपालन	i) सेबी (एलओडीआर) की धारा 27(2)(क) के तहत कॉर्पोरेट गोवर्नेंस रिपोर्टिंग ii)सेबी (एलओडीआर) की नियमावली 13(3)/13(4) के अनुसार शिकायत निवारण की स्थिति iii) सभी सूचीबद्ध कंपनियों / सूचीबद्ध बैंकों के शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का समाधान	त्रैमासिक	बोर्ड	सेबी	i) एलओडीआर ii) एलओडीआर 31.12.2002
41	सूचना प्रोद्योगिकी	जोखिम	आईटी की प्रमुख पहलों के संबंध में तैयारी की स्थिति – प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर सामाग्री सूचना और डेटा की समीक्षा	त्रैमासिक	आईटी रणनीति समिति	आरबीआई	22.04.2008
42	सूचना प्रोद्योगिकी	जोखिम	बैंक में आउटसोर्सिंग गतिविधियाँ-सभी महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग गतिविधियों की अर्ध-वार्षिक समीक्षा	अर्ध वार्षिक	आर.कॉम	आरबीआई	10.04.2023

क्र. सं	विभाग	विषय	मद का नाम	आवृत्ति	समिति	मैनडेट (अधिदेश)	परिपत्र/ पत्र संदर्भ
43	अध्ययन और विकास	मानव संसाधन	प्रशिक्षण एवं प्रतिभा विकास के संदर्भ में प्रदर्शन की रिपोर्टिंग	अर्ध वार्षिक	बोर्ड	आरबीआई	14.05.2015
44	विधि	जोखिम	डीआरटी मामलों की स्थिति की समीक्षा	अर्ध वार्षिक	उच्च मूल्य एनपीए और हानि संपत्तियों की निगरानी के लिए समिति	कोई अधिदेश नहीं	
45	राजभाषा	अनुपालन	बैंक में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग – कार्यनिष्पादन रिपोर्ट	अर्ध वार्षिक	बोर्ड	कोई अधिदेश नहीं	
46	आयोजना	व्यापारिक रणनीति	तिमाही के लिए बोर्ड की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली और कॉर्पोरेट योजना के संबंध में तिमाही के प्रदर्शन की समीक्षा	अर्ध वार्षिक	बोर्ड	कोई अधिदेश नहीं	
47	आयोजना	व्यापारिक रणनीति	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजी एवं राजस्व व्यय बजट का तिमाही के दौरान उपयोग	अर्ध वार्षिक	बोर्ड	कोई अधिदेश नहीं	
48	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	परिचालन जोखिम प्रबंधन- वित्तीय वर्ष के लिए आरसीएसए कवायद के परिणाम	वार्षिक	आरकॉम	आरबीआई एसएसएम	2020-21
49	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	बैंकों पर एक्सपोजर – घरेलू और विदेशी बैंकों पर नियमित / कभी-कभार एक्सपोजर पर रिपोर्ट जोकि विगत अर्ध-वार्षिक के लिए है	अर्ध वार्षिक	आरकॉम	नीति	घरेलू बैंक जोखिम नीति

क्र. सं.	विभाग	विषय	मद का नाम	आवृत्ति	समिति	मैनडेट (अधिदेश)	परिपत्र/ पत्र संदर्भ
50	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	स्टॉक दृष्टिकोण के तहत तरलता जोखिम की निगरानी	त्रैमासिक	आरकॉम	नीति	वैश्विक एएलएम
51	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	आस्ति देनदारी प्रबंधन (एएलएम)(घरेलू परिचालन तथा विदेश) – तरलता जोखिम की निगरानी- संरचनात्मक तरलता विवरण (एसएलएस) के सीमा उल्लंघन की रिपोर्टिंग एवं इसकी पुष्टि	जब आवश्यक हो	आरकॉम	नीति	वैश्विक एएलएम
52	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	हमारे बैंक में - आस्ति देयता प्रबंधन एएलएम प्रक्रिया की निगरानी एएलसीओ बैठक की कार्यवाही का संक्षेप	त्रैमासिक	आरकॉम	नीति	वैश्विक एएलएम
53	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया की रिपोर्टिंग (आईसीएएपी)	वार्षिक	आरकॉम	आरबीआई	01-अप्रैल-2022
54	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	वैश्विक बाजार जोखिम पोर्टफोलियो का विश्लेषण	त्रैमासिक	आरकॉम	आरबीआई एसएसएम	2022
55	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	तिमाही की प्रतिभूति रहित अग्रिम/ गारंटियाँ की रिपोर्टिंग	त्रैमासिक	आरकॉम	कोई अधिदेश नहीं	
56	ग्रामीण	वित्तीय समावेशन	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की समीक्षा	त्रैमासिक	बोर्ड	आरबीआई	14.05.2015
57	स्टाफ उत्तरदायित्व परीक्षा विभाग (एसएईडी)	मानव संसाधन	लंबित एसएआर की स्थिति	त्रैमासिक	एससीएचआर	आरबीआई एसएसएम	2021

क्र. सं	विभाग	विषय	मद का नाम	आवृत्ति	समिति	मैनडेट (अधिदेश)	परिपत्र/ पत्र संदर्भ
58	संव्यवहार निगरानी एवं केवाईसी-एएमएल (टीएमकेएडी)	अनुपालन	अपने ग्राहक को जानिए (के वाई सी)/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) दिशानिर्देश – कार्यान्वयन की समीक्षा	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	10.11.2010
59	ट्रेजरी (कोषागार)	अनुपालन	i)एसजीएल एवं सीएसजीएल खातों के समाधान की त्रैमासिक रिपोर्ट ii) देशी (घरेलू) शाखाओं की बकाया नोस्ट्रो प्रविष्टि के समाधान की रिपोर्ट	त्रैमासिक	एसीबी	आरबीआई	12.09.2023
60	ट्रेजरी (कोषागार)	अनुपालन	i) रिपोर्टिंग शुक्रवार तक निधि-प्रबंधन हेतु मासिक रिपोर्ट ii) तिमाही के दौरान ट्रेजरी प्रबंधन iii) बैंक के गैर- सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश-तिमाही के गैर-एसएलआर पोर्टफोलियो (निवेश सूची) की समीक्षा एवं तिमाही की डेरिवेटिव संव्यवहार की रिपोर्टिंग	त्रैमासिक	बोर्ड	आरबीआई (केवल (iii) हेतु)	12.09.2023
61	ट्रेजरी (कोषागार)	अनुपालन	वित्तीय वर्ष हेतु ट्रेजरी की प्रतिभूति संव्यवहार के लिए मध्यस्थों की समीक्षा एवं उनका सूची में पैनलीकरण	वार्षिक	बोर्ड	आरबीआई	12.09.2023
62	ट्रेजरी (कोषागार)	अनुपालन	छमाही हेतु ट्रेजरी संव्यवहार (विभिन्न निगमों/राजकीय उपक्रमों द्वारा ज़ारी केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड सहित); अतिदेय मूलधन एवं ब्याज की स्थिति	अर्धवार्षिक	बोर्ड	आरबीआई	12.09.2023
63	ट्रेजरी (कोषागार)	अनुपालन	डीलिंग कक्ष परिचालन – विदेशी मुद्रा मध्यस्थों के पैनल का वार्षिक पुनरावलोकन	वार्षिक	बोर्ड	आरबीआई	12.09.2023
64	सतर्कता	मानव संसाधन	बैंक के सतर्कता संबंधी कार्यों की समीक्षा	अर्धवार्षिक	बोर्ड	कोई अधिदेश नहीं	

समीक्षा का कैलेंडर- प्रबंधन स्तरीय समिति/ कार्यपालक निदेशक/ प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाने हेतु

क्र. सं	विभाग	विषय	मद का नाम	आवृत्ति	समिति	आशोधन प्रस्तावित
1.	अनुपालन	अनुपालन	तिमाही हेतु अनुपालन प्रमाण-पत्र	त्रैमासिक	एमडी एवं सीईओ	-
2.	शाखा-विस्तार	जोखिम	नई खोली गई शाखा की प्रगति/रिपोर्टिंग बनाम शाखा कार्य-योजना	त्रैमासिक	ओआरएमसी	-
3.	शाखा-विस्तार	जोखिम	विगत तिमाही हेतु शाखा-विस्तार/लंबित लाईसेंस की तिमाही समीक्षा (देशी परिचालन)	त्रैमासिक	एमडी एवं सीईओ	-
4.	अनुपालन	अनुपालन	डेरिवेटिव हेतु दिशानिर्देशों के अनुपालन की रिपोर्टिंग	त्रैमासिक	एमडी एवं सीईओ	-
5.	अनुपालन	अनुपालन	विदेश में नियमों के उल्लंघनों की रिपोर्टिंग	मासिक	एमडी एवं सीईओ	-
6.	कॉर्पोरेट ऋण	जोखिम	एफ़सीएनआर निधियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा लोन- हमारे ऋणकर्ताओं द्वारा एक्सपोजर की हेजिंग	अर्धवार्षिक	कार्यपालक निदेशक	-
7.	सामान्य परिचालन वि.	अनुपालन	एसडीवी लॉकरों की स्थिति- अतिदेय किराए की वसूली	त्रैमासिक	ओआरएमसी	-
8.	सामान्य परिचालन वि.	अनुपालन	बैंक की अक्रिय/निष्क्रिय जमा- समीक्षा	त्रैमासिक	ओआरएमसी	-
9.	जोखिम प्रबंधन (आरएमडी)	जोखिम	चलनिधि दबाव जांच	त्रैमासिक	एएलसीओ	-
10.	जोखिम प्रबंधन (आरएमडी)	जोखिम	देशीय जोखिम एक्सपोजर- बकाया देश एक्सपोजर की रिपोर्टिंग	त्रैमासिक	सीआरएमसी	-
11.	जोखिम प्रबंधन (आरएमडी)	जोखिम	आंतरिक रेटिंग प्रतिमानों (माडलों)- एचएलसी एवं एमएस मॉडलों का प्रमाणीकरण (अधिमान्यीकरण)	यथा-आवश्यकता	सीआरएमसी	-
12.	जोखिम प्रबंधन (आरएमडी)	जोखिम	आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रतिमान- एसबीएस मॉडल	यथा-आवश्यकता	सीआरएमसी	-
13.	जोखिम प्रबंधन (आरएमडी)	जोखिम	विभिन्न उद्योगों के अपडेट (तिमाही)	त्रैमासिक	सीआरएमसी	-
14.	जोखिम प्रबंधन (आरएमडी)	जोखिम	घरेलू ट्रेजरी परिचालन की मासिक रिपोर्टिंग	मासिक	एमआरएमसी	-

क्र . सं	विभाग	मद	मद का नाम	आवृत्ति	समिति	आशोधन प्रस्तावित
15.	जोखिम प्रबंधन विभाग	जोखिम	विदेशी राजकोषीय परिचालन की मासिक रिपोर्टिंग	मासिक	एमएमआरएमसी	---
16	जोखिम प्रबंधन विभाग	जोखिम	ट्रेडिंग संविभाग का दबावग्रस्त परीक्षण	त्रैमासिक	एमएमआरएमसी	---
17	जोखिम प्रबंधन विभाग	जोखिम	परिचालन जोखिम - हानि डेटा की रिपोर्टिंग और विश्लेषण	अर्ध – वार्षिक	परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधक समिति (ORMC)	---
18	जोखिम प्रबंधन विभाग	जोखिम	परिचालन जोखिम –बैंक स्तरीय जोखिम संकेतक की ट्रैकिंग - तिमाही के लिए रिपोर्टिंग स्थिति	त्रैमासिक	परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधक समिति (ORMC)	---
19.	सुरक्षा	जोखिम	बैंक में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति	त्रैमासिक	कार्यपालक निदेशक (ED)	---

अनुलग्नक - 5

निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल स्तरीय समितियों को प्रस्तुत कार्यसूची हेतु रूपरेखा

1. प्रस्तावना

1.1 यह रूपरेखा बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली कार्यसूची की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए तैयार की गई है। यह रूपरेखा प्रस्तुत की जाने वाली कार्यसूची के प्रकार पर एक व्यापक दृष्टिकोण दर्शाती है, इसलिए यह केवल सुझावात्मक प्रकृति की है, निर्देशात्मक नहीं। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो तो विशिष्ट मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करके ढांचे को लागू करने में बारीक पहलुओं को रेखांकित करना संबंधित वर्टिकल की जिम्मेदारी होगी।

2. रूपरेखा (फ्रेमवर्क)

बोर्ड और बोर्ड स्तरीय उप - समितियों को प्रस्तुत कार्यसूची तीन श्रेणियों में आते हैं अर्थात – नीतियां, अनुमोदन रिपोर्टिंग मदें ।

3. नीतियां

3.1 बैंक एक ऐसी **एकल समावेशी नीति** अपनाने का प्रयास करेगा जिसमें एक ही अंतर्निहित विषय से संबंधित सभी पॉलिसियां सम्मिलित हों अर्थात प्रत्येक वर्टिकल के पास केवल एक समावेशी नीति होगी जिसमें संबंधित वर्टिकल के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग अध्याय होंगे, जब तक कि अलग नीति रखने के लिए कोई विनियामक निर्देश न हो। कार्यात्मक विभाग से संबंधित सभी विषयों को सम्मिलित करते हुए एक समेकित नीति तैयार कर सकता है जिसमें उन विषयों के लिए अलग-अलग अध्याय समर्पित होंगे। उदाहरण (क) वर्तमान में अनेक नीतियों के स्थान पर खुदरा, एमएसएमई, कृषि, कॉर्पोरेट ऋण आदि जैसे सभी ऋण क्षेत्रों को कवर करने वाली एकल ऋण नीति को अपनाया जाए। (ख) इसी प्रकार, एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सभी केंद्र विशिष्ट नीतियां एकल समावेशी नीति के अंतर्गत होंगी (बशर्ते कि इसे विदेशी नियामक द्वारा स्वीकार किया गया हो)। ऐसा करते समय, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह समावेशी नीति सभी नीतियों का एक संयोजन मात्र न बन जाए, बल्कि वास्तविक समेकन हो। सामान्य पहलुओं को समेकित किया जाना है तथा उत्पाद/क्षेत्र विशेष विशेषताओं को अध्यायों में विभाजित किया जाना है। एकीकरण से पहले संयुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित विभिन्न नीतियों का समाप्ति खंड को संयोजित किया जाना है।

3.2 सभी नीतियों को बैंक की कार्पोरेट प्रशासन नीति के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, नीतियों को बोर्ड स्तर की उप-समितियों में से किसी एक के द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

4. अनुमोदन एवं रिपोर्टिंग– प्रस्तुत करने हेतु अधिदेश

4.1 इस ढांचे के अनुलग्नक 'ए' में उल्लिखित सभी मदें (जैसा कि आरबीआई परिपत्र दिनांक 14 मई, 2015 द्वारा बोर्ड विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण विषयों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है) बिना किसी अपवाद के अनिवार्य रूप से बोर्ड के समक्ष रखी जाएंगी। बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों के समक्ष रखे जाने वाले अन्य मदों के संबंध में अधिक स्पष्टता लाने के लिए, इस ढांचे के अनुलग्नक 'बी' में दर्शाए अनुसार एक फ्लोचार्ट तैयार किया गया है, ताकि कार्यात्मक विभागों को आसानी से संदर्भ दिया जा सके। इसे निम्नानुसार विस्तृत किया गया है:

4.2 बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा

(i) वे मदें जिन्हें किसी विनियामक/पर्यवेक्षी निकाय द्वारा बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना अथवा बोर्ड को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया हो।

(ii) यदि बोर्ड या बोर्ड स्तर की उप-समिति ने किसी मद को अनुमोदन/रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड के समक्ष रखने का निर्देश दिया है

(iii) कोई अन्य मामला जिसका बैंक के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो, जिसका वित्तीय/प्रतिष्ठा पर प्रभाव हो सकता हो या बैंक को प्रभावित करने वाला कोई अन्य मुद्दा बोर्ड के ध्यान के योग्य हो, केवल प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अनुमोदन से।

(iv) बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीति के अनुसार समीक्षा मदों का कैलेंडर

4.3 बोर्ड स्तरीय उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना

i. कॉर्पोरेट प्रशासन नीति में परिभाषित उप-समिति के दायरे में आने वाली सभी मदें

ii. वे मदें जिन्हें नियामक/पर्यवेक्षी निकाय द्वारा उप-समिति से अनुमोदन प्राप्त करने या उप-समिति को रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य किया गया है

iii. यदि बोर्ड या बोर्ड स्तरीय उप-समिति ने किसी मद को अनुमोदन/रिपोर्टिंग के लिए उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है

iv. बैंक की कॉर्पोरेट प्रशासन नीति के अनुसार समीक्षा मदों का कैलेंडर

5. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

ए. यदि बोर्ड या बोर्ड स्तरीय उप-समिति द्वारा किसी मद का अनुमोदन/रिपोर्टिंग बैंक की अपनी नीति के प्रावधान के अनुसार है, तो नीति पर पुनः विचार किया जाना चाहिए और बोर्ड/बोर्ड स्तरीय समिति के स्थान पर कार्यपालक स्तर की समिति को सौंपकर ऐसे प्राधिकार में संशोधन के साथ तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि, यदि बोर्ड या बोर्ड स्तरीय समिति ऐसा चाहती है, तो इसे आगे भी रखा जा सकता है।

बी. यदि कोई एजेंडा, अधिदेश को संतुष्ट किए बिना, बोर्ड/बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन/रिपोर्टिंग के लिए रखा जाता है, तो एजेंडा को ईडी/एमडी सचिवालय स्तर पर ही लेने से मना कर दिया जाएगा, जब तक कि बोर्ड/बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष एजेंडा रखने का ठोस औचित्य न दिया जाए और वह ईडी/एमडी और सीईओ की संतुष्टि के अनुरूप न हो।

फ्रेमवर्क का अनुलग्नक ए

क्र सं	विभाग का नाम	एजेंडा का विवरण	विषय
1.	**सभी विभाग**	नए उत्पादों का विवरण	व्यापार रणनीति
2.		व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता	व्यापार रणनीति
3.		ऋण, परिचालन, बाजार, तरलता जोखिम से संबंधित नीतियां जोखिम	जोखिम
4.		नियामकीय आवश्यकताएं	अनुपालन
5.		आरबीआई और सेबी मानदंडों का पालन	अनुपालन
6.		विभिन्न ग्राहक खंडों के लिए उत्पादों की उपयुक्तता निर्धारित करना	ग्राहक सुरक्षा
7.	**आयोजना**	लक्ष्यों के संबंध में कारोबार समीक्षा	कारोबार रणनीति
8.	**जोखिम प्रबंधन**	जोखिम कार्य की स्वतंत्रता का आकलन	जोखिम प्रबंधन
9.	**वित्त**	तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत जांच	वित्तीय रिपोर्ट और उनकी सत्यता
10.	**वसूली**	एनपीए प्रबंधन और रिपोर्ट की गई एनपीए और प्रावधान सत्यता	वित्तीय रिपोर्ट और उनकी सत्यता
11.	**निरीक्षण और लेखापरीक्षा**	आरबीआई और एलएफएआर द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण से प्राप्त अवलोकन	अनुपालन
12.	**एफबीडी (डीएसएमडी)**	पिछली बैठकों के कार्यवृत्त में लिए गए निर्णयों की समीक्षा और सहायक कंपनियों के भीतर लिए गए प्रमुख निर्णयों की समीक्षा	अनुपालन
13.	**बोर्ड सचिवालय**	कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा	अनुपालन
14.	**तृतीय पक्ष उत्पाद प्रभाग**	गलत बिक्री, विशेष रूप से तृतीय पक्ष उत्पाद	ग्राहक सुरक्षा
15.	**सीईबीबी**	ग्राहक शिकायतों की वृद्धि और उनके समाधान में व्यापक प्रवृत्तियों और संकेन्द्रण को समझना	ग्राहक सुरक्षा
16.	**ग्रामीण**	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की समीक्षा	वित्तीय समावेशन
17.	**एफआई और आरआरबी**	वंचितों के लिए भुगतान	वित्तीय समावेशन
18.		कमजोर वर्गों से जमा जुटाना	
19.		सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को सहायता और अन्य मुद्दे	
20.	**मानव संसाधन (एल एंड डीडी सहित)**	निदेशकों की नियुक्ति और अनुमोदन, स्टाफ के लिए भत्ते और सुविधाएं, कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं	मानव संसाधन
21.		स्टाफ के लिए पदोन्नति नीतियां	मानव संसाधन
22.		स्टाफ का प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	मानव संसाधन

फ्रेमवर्क का अनुलग्नक बी

मार्गदर्शन के लिए प्रवाह चार्ट - बोर्ड/बोर्ड स्तरीय समिति के लिए